

लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट नम्बर 30, 1977

- : जो होने वाला बैठक की कार्य-पुत्री :-

बैठक स्थल :- कार्यालय आयुक्त,
लखनऊ 20000,
उत्तर प्रदेश ।

समय :- पूर्वान्ध 11-00 बजे ।

अनुसूची A

क्रमांक	विषय ?	पृष्ठ ?
मद संख्या -1	: पिछला बैठक दिनांक 10-10-77 की बैठक के कार्यवृत्त का पृष्टिकरण ।	- पृष्ठ -1
मद संख्या -2	: लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुराने शासकीय भूणों के रि-शेड्यूलिंग के संबंध में ।	- पृष्ठ -2
मद संख्या -3	: शासन से 22 प्रतिशत अनुवर्ती सहायता के बन्द होने के सम्बन्ध में ।	- पृष्ठ -4
मद संख्या -4	: लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को उनके भविष्य-निधि की पास-बुक देने के सम्बन्ध में सूचनाएं आख्या ।	- पृष्ठ -6
मद संख्या -5	: 2-वे गेट-वे रोड अशोक मार्ग पर नेशनल बायोनिकल गार्डन के सामने के 5। एकड़ क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन, जो शासन द्वारा किया जा चुका है के प्लान पर फाइनल रिकार्ड हेतु हस्ताक्षर करने के विषय में ।	- पृष्ठ -8
मद संख्या -6	: भूणों के हस्तान्तरण पर शुल्क का लिया जाना ।	- पृष्ठ -9
मद संख्या -7	: अलागंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में प्रस्तावित गार्डनिंग सुविधियों को भास किया जाने के विषय में निर्णय लिये जाने हेतु ।	- पृष्ठ -15
मद संख्या -8	: मास्टर-प्लान के प्लानिंग डिस्ट्रक्ट "डी" जोन नं० 8 तथा 9 का ड्राफ्ट जोनल प्लान प्राधिकरण के अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये अर्पण के आधार पर अनुमोदन ।	- पृष्ठ -21
मद संख्या -9	: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास हेतु कार्यालय प्रांगण के स्थल में प्रस्तावित डिजायन में रेयर सेट वेक की स्वीकृति ।	- पृष्ठ -22
मद संख्या -10	: मुख्य अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना हेतु स्टाफ ।	- पृष्ठ -23
मद संख्या -11	: कामधेनु नगर को चालू रखाने हेतु 313.43 लाख रुपये की इकोनामिक्स की स्वीकृति	- पृष्ठ -25
मद संख्या -12	: नियोजन विभाग की बैठक 3 प्रस्ताविक योजना पूर्णतः पर विचार हेतु दिनांक 11-10-77 पर विचार ।	- पृष्ठ -28
मद संख्या -13	: लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट 1977-78 की अर्द्धवार्षिक वित्तीय समीक्षा	- पृष्ठ -31
मद संख्या -14	: 40 लाख रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में ।	- पृष्ठ -37

- मद संख्या -15 : निरीक्षण विभाग तथा विधि विभाग के लिये स्टाफ की स्वीकृति के संबंध में । - पृष्ठ -38
- मद संख्या -16 : सरोजनी नगर क्षेत्र में कानपुर रोड पर 100 गैर्या वाले ई0एन0आई0 अस्पताल के निर्माण के लिये तथा लखनऊ विमान प्राधिकरण द्वारा निर्माणार्थीन आलमबाग व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिये अड्डे के मध्य से 125 फुट की दूरी के अन्तर्गत निर्माण किये जाने की छूट देने के संबंध में ।- पृष्ठ -40
- मद संख्या -17 : अलागंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत निर्मित व्यवसायिक केन्द्र में एक दुकान का आवण्टन करने के लिये प्राधिकरण से मुक्त करने के सम्बन्ध में । - पृष्ठ -41
- मद संख्या -18 : लखनऊ शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थित भवनों के अग्रभागों की रंगाई एवं मरम्मत विषयक आड्यन । - पृष्ठ -42
- मद संख्या -19 : अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।

मद संख्या -1 :

विकास

प्राधिकरण,

लखनऊ

की

बैठक

दिनांक

10-10-1977

के

कार्यवृत्त

का

पुष्टिकरण ।

- 0 - 0 -

क्रमशः - - - 2'

विभाग : लेखा विभाग
 विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुराने शासकीय शृणों के रिजेड्यूसिंग के सम्बन्ध में ।
 आख्या : लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन विधायित सं०2892/37-2-2।डी०ए० दिनांक 13-9-74 द्वारा हुआ था उस समय रु० 1,56,69,475/= का शृण था । इन शृणों के विरुद्ध जो ब्याज या कित्ते देय थी उनके भुगतान में डिफाल्ट उत्पन्न हो गया था तथा 1976 तक यह डिफाल्ट चालू कित्तों के साथ साथ रु० 79-06 लाख था प्राधिकरण के समस्त समस्या यह उत्पन्न हुई कि वितर्ध की एवं चालू वार्षिक कित्तों की धनराशि शासन को कैसे भुगतान की जाये क्योंकि प्राधिकरण ने जो शृण लये शासन से प्राप्त किये थे उनका प्रतिदान भी होना था । मृत बजट 1976-77 के सम्बन्ध में गठित उप समिति के समक्ष जिसमें तत्कालीन विशेष सचिव भी सम्मिलित थे विचार विमर्श हेतु मामला प्रेषित किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि डिफाल्ट धनराशि 10 समीकृत वार्षिक कित्तों में भुगतान की जाये तथा चालू कित्तों भी दी जाये । प्राधिकरणने तथावा प्रस्ताव 15-10-76 तथा 19-2-77 को बैठकों में अनुमोदित कर दिया ।

2- उपरोक्त निर्णय के अनुसार चालू 1977 में चालू कित्ते एवं वितर्ध का 10% भुगतान भी किया गया परन्तु शासन ने राजा. सं० 2546/37-1-5 रि०पे०/76 दिनांक 12-9-77 द्वारा पुनः इस आधार पर की प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति ठीक है एक मुक्त डिफाल्टेड धन रु०71-47 लाख भुगतान करने के लिये कहा है राजा. की प्रति संतुष्ट है ।

प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि प्रस्तुत शृणों से निर्मित भवनों से वार्षिक आय 13 लाख रुपये हैं जिसके विरुद्ध भवनों के रख रखाव तथा सुंघय व्यय (करो को छोड़कर) लगभग 3-25 लाख के उपरान्त केवल भवनों की आय में रु० 9,25 लाख बचती है जब कि वार्षिक कित्तों का धन रु० 12 लाख से अधिक है इस प्रकार उक्त शृणों में वितर्ध धन का 10% तथा वार्षिक चालू कित्तों के भुगतान में प्राधिकरण को लगभग 10-15 लाख अन्व शीतों से देना होगा । अन्व मदों की आय को योजनाओं के अर्थात् होती है उसके लये शृणों का प्रतिदान, दूसरे व्यय तथा पुनः योजना पर व्यय किया जाता है इसमें यदि किसी प्रकार की अड़वण पड़ती है तो एक और योजनाओं पर कुप्रभाव पड़ सकता है अन्वथा लये शृणों के प्रतिदान में वितर्ध होगा ।

उपरोक्त स्थिति में पूर्ण स्थिति प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रेषित है। यदि अनुमोदित करे तो पुनः शासन से विचारार्थ अनुरोध किया जाये ।

ह०/- मुख्य लेखाधिकारी,

उपाध्यक्ष महोदय यदि अनुमोदित करें तो उपरोक्त मामला प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये अदेश प्रदान कर दें ।

ह०/- सचिव

प्रमाणित प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें ।
 24/10/76

ह०/- उपाध्यक्ष

प्रेमक,

श्री डी०एन०श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 जून, 1977

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पुराने गृहों की चालू किस्तों तथा आयुक्त धराराशियों के भुगतान के सम्बन्ध में ।

=====

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 691/गो०ए०ओ०, दिनांक 20 जून, 1977 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उसके संलग्न सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति ठीक है और वे गृह तथा व्याज के प्रतिदात में समी हैं । अतः मुझे आ से यह अनुरोध करता है कि एक मुस्त अतिव्य धराराशि का भुगतान अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें और कृत कार्यवाही से शासन को भी सूचित करें ।

2- चूंकि गृहों के बकाया का प्रश्न लोक सेवा समिति के समक्ष भी आया था, कृपया भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाय ।

भवदीय,

प्रमाणित
[Signature]
रिसेप्ट

ह०/- डी०एन०श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव.

मद सं०-3

तलमऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग : लेखा विभाग

विषय : शासन से 22% अनुवर्ती सहायता के बन्द होने के सम्बन्ध में ।

आख्या : तलमऊ विकास प्राधिकरण के बठन के पूर्व महापालिका का अंग अर्थात् विभाग के रूप कार्यरत था यह कि कर्मचारियों पर स्थायी विकास की सेवा शर्त तथा वेतनमान इत्यादि अनुमत्त थे । वेतन आयोग 1971-73 द्वारा निर्धारित वेतनमान लागू होने के उपरान्त जो व्यय भार बढ़ा था उसकी परिपूर्ति हेतु शासन ने अधिष्ठाता व्यय के वेतन/मैहमाई भत्तों के मद का 22% के बराबर अनुदान पूर्ति-करण के रूप में दिया करती थी । विकास प्राधिकरण बने के उपरान्त भी उस कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिज पर वेतन आयोग की संशुधिया लागू थी यह पूर्तिकरण लिया जाता रहा तथा आहरण होता रहा यह प्रक्रिया महापालिका में रासा सं० 134टी०/9-1-40-सा० दि०ंक 16-1-74 के अर्थात् अपमाई गई थी । इस मद से प्राधिकरण को आवर्तय अनुदान एवं इस पूर्तिकरण से अत्याधिक व्यय भार उठाने में सहायता मिलती रही है ।

शासन ने मिलाधिकारी महोदय को चम्पेकित राजसा सं० 2468टी०/9-1-77-सा०(14) /77 दि०ंक 28-3-77 प्रतिलिपि संतम्ब द्वारा इस 22% पूर्तिकरण को रोक दिया है शासन को पत्र सं० 1000/सी०ए०ओ० दि०ंक 12-8-77 तथा 1090/सी०ए०ओ० दि०ंक 12-8-77 द्वारा पुनः विचारार्थ रिखा मो भया है परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ बाकि जीवन बीमे की धारणा प्रत्यक्ष रूप लिये जमा करने के आदेश दिये गये जब कि यह धारणा 22% के अनुदान विती से जमा होती थी इस प्रकार 22% पूर्तिकरण अनुदान बन्द हो गया तथा दूसरी ओर जीवन बीमे का प्राधिकरण अनुदान रू० 1.63 पैसे प्रति कर्मचारी के दर से और कुलगत करना पड़ा दूसरे शब्दों में प्राधिकरण को लगभग रू० 3.15 लाख वार्षिक खर्च बहन करना होगा ।

यदि प्राधिकरण सहमत हो तो शासन से अनुरोध किया जाय कि वह पुनः इस मामले में विचार करके पूर्ववत् 22% पूर्तिकरण अनुदान देता रहे ।

ह०/- मुख्या लेखा अधिकारी
1-1-77

उपाध्यक्ष यदि सहमत हो तो प्राधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान करें ।

ह०/- उपाध्यक्ष

प्राधिकरण के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

प्रमाणित
Om S
H. C. S. C.

ह०/- उपाध्यक्ष
5-1-77

संख्या 2468टी/9-1-77-3।सा (14)/77

प्रेषक,

श्री विरीश चन्द्र अस्थाना,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
लखनऊ/कानपुर/अमरा/वाराणसी/इलाहाबाद/
मेरठ/रायबरेली/गोरखपुर/गान्धियाबाद ।

स्वायत्त शासन अनुभाग - 1

लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 1977

विषय : विकास प्राधिकरणों को अंशदान/राज सहायता ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी स्थानीय निकायों (नगर महापालिकार्यें) नगर पालिकाओं, बोर्डोफहड एरियाओं, टाउन एरियाओं) को शासन द्वारा शासनादेश संख्या 134टी-9-1-30सा/23 दिनांक 16 जनवरी, 1974 के आधार पर अंशदान/राज सहायता उनके कर्मचारियों के वेतन बिलों पर निर्धारित प्रतिशत के रूप में दी जाती है किन्तु शासन को ज्ञात हुआ है कि विकास प्राधिकरणों को भी कतिपय जिलों में उक्त शासनादेश के आधार पर अंशदान/राज सहायता दी जा रही है जब कि शासनादेश में यह इंगित नहीं है । अतः मुझे यह कहना है कि कृपया सूचित करें क्या आपके जिले के विकास प्राधिकरणों को तो उक्त सहायता नहीं दी जा रही है ।

वांछित सूचना तीन दिनों के भीतर भेजें ।

भवदीय,

हो/-
(विरीश चन्द्र अस्थाना)
अनुसचिव,

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि की पास बुके देने के सम्बन्ध में आख्या

*** * **

लखनऊ नगर महापालिका कर्मचारी पेन्शन एवं सामान्य भविष्य निधि विनियम 1962 (जो आवश्यक संशोधनों सहित प्राधिकरण पर लागू हैं) के नियम 12(1) के अर्न्तगत कर्मचारियों के भविष्य निधि की मासिक कटौतियों की खजाना प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट आफिस सेविंग बैंक खाते में जमा की जाती थी परन्तु खाते के अपूर्ण होने के कारण कर्मचारियों का हिस्सा किताब मिल नहीं पा रहा था तथा उनमें असंतोष व्याप्त था। अतः कर्मचारियों की मांग पर विचार विमर्श के उपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश संख्या 24/का० प्रशासक/1977-78 दिनांक 30-7-77 द्वारा प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों के उनके वेतन से काटी गयी भविष्य निधि की खजाना की पास बुके बुलवाकर उसमें जमा की जाती थी। उक्त आदेशों के पालनार्थ विभिन्न बैंकों से विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि 'रेगुलर्डेड कर्मचारी बैंक, लखनऊ में उनके पत्र सं० - दिनांक 6-9-77 (प्रति सलंगन) की सुविधाओं एवं शर्तों पर एक खाता ' लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि ' खोलकर प्रत्येक कर्मचारी की ~~भविष्य निधि~~ प्रत्येक प्रत्येक पास बुके बनवा दी जाये। 1-9-77 से उक्त कार्यवाही को लागू कर दिया गया है और पास बुके बनवा दी गयी हैं पिछले खाते पूर्ण होने पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखों को इस में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

यदि आप सहमत हों तो कृपया विकास प्राधिकरण के समस्त सूचनाएँ प्रेषित करने का कष्ट करें।

हरि बल्लू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

विकास प्राधिकरण के समस्त सूचनाएँ प्रेषित किया जाये।

उपाध्यक्ष।

Copy of letter dt. 6 Sep. 1977, from Manager, United Commercial Bank Lucknow to the Lucknow Development Authority 6, Jagdish Chandra Bose Marg. Lucknow.

Re: Provident Fund Accounts of your employees.

In continuation of our letter dated 26th August, 1977 we give below revised terms and conditions for opening of the P.F. accounts of your employees under our various Schemes.

- i) Individual employees can open S.B. accounts without cheque book facility in which any money can be deposited irrespective of the number of deposits in a month/year. The withdrawals if any required out of these accounts will be with withdrawal slips and it will bear interest at the rate of 5 % p.a. on the minimum balance between the 10th and the closing day of any month.
- ii) We can agree to opening of the recurring deposit account also of the employees which we presume shall be for a period generally exceeding 60 months. These accounts will bear interest at the rate of 10% p.a. with monthly compounding of interest.
- iii) In case you desire the individual FDR/Deposit Certificates can also be issued for the employees and in case they are issued for a period exceeding 60 months it will bear interest at the rate of 10 % p.a. with monthly compounding of interest on which the effective rate of interest on maturity will be 12.96 %. The amount can not be withdrawn out of the Recurring Deposit/FDR/ Deposit certificate as mentioned in para 2 and 3 above. However, the bank will be willing to make an advance against them as permitted by the RBI guidelines. At present for making an advance the rate of interest will be 2% above the deposit rate minimum 12 % and advance will be upto 75% of the deposit amount. In case of need the entire amount of Recurring Deposit / FDR can also be paid before maturity.
- iv) Another alternative can be that employees can open S.B. accounts in which they can make monthly deposit of the provident fund amount and they can give standing instructions to the Bank to make out Fixed Deposit/Deposit Certificate as soon as the amount exceeds any amount say in multiples of 100 or tens like that. In that case the FDR/Deposit Certificate will bear the interest as stated above and the Saving Bank account out of which the withdrawal can also be made will bear interest at the rate of 5% as also stated above.

In case you desire us to make out any other Scheme suitable to your requirements we are always at your disposal to discuss the same according to your requirements and implement the same.

Assuring you of our best cooperation at all times.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग: प्लानिंग विभाग ।

विषय : 2 वें रोड अशोक मार्ग पर नेशनल वाटिकल गार्डन के सामने के 5। एकड़ क्षेत्र के भू-उपयोग परिवर्तन जो शासन द्वारा किया जा चुका है के प्लान पर फाइनल रिकार्ड हेतु हस्ताक्षर करने के विषय में ।

सारांश : उत्तर प्रदेश शासन आवास अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2993/37-3-97-एन०बी०/75 दिनांक अगस्त 27, 1977 को दी गई । अधिसूचना के आधार पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने एक विस्तृत प्लान प्रस्तुत किया है जो अवलोकन एवं हस्ताक्षर के लिये प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

ह०/- के० पी० सिंह
वरिष्ठ नगर नियोजक

ह०/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

ह०/- एन०बी० लाल
13-10-77
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विकास प्राधिकरण में विचारार्थ आख्या

विभाग: सम्पत्ति विभाग ।

विषय : भूखण्डों के हस्तान्तरण पर शुल्क का लिया जाना ।

विषय-वस्तु: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 की मद

संख्या 6 §प्रतिलिपि संलग्न§ में निर्णय लिया गया था कि "आवृण्टित भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकार हस्तान्तरण करने हेतु 40 प्रतिशत तथा नीलाम द्वारा दिये गये भूखण्डों के लीज होल्ड अधिकार ~~हस्तान्तरण~~ शुल्क 15 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लेकर लीज होल्ड अधिकार हस्तान्तरित करने की अनुमति दी जाय ।"

उपरोक्त शब्दावली से भूखण्डों के स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने में कुछ ब्यवहारिक कठिनाइयों उत्पन्न हो गई है । तत्कालीन इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट/महापालिका की विभिन्न योजनाओं में जो पट्टा विलेख सम्पादित होते रहे है उनमें से कुछ में यह प्राविधान रहा है कि यदि कोई ब्यक्ति पट्टागत अधिकार का हस्तान्तरण करेगा तो उसे पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी । इसके लिये तत्कालीन कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या 160 दिनांक 24-10-70 §प्रतिलिपि संलग्न§ के अन्तर्गत प्रीमियम की 5 प्रतिशत धनराशि हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित की गई थी । जिन पट्टा विलेख में हस्तान्तरण की पूर्व अनुमति का प्राविधान न था उनके हस्तान्तरण पर इस प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं था । अन्ततोगत्वा 24-10-70 के प्रस्ताव में निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क को प्रस्ताव संख्या 267 दिनांक 8-10-74 §प्रतिलिपि संलग्न§ के अन्तर्गत 30 प्रतिशत कर दिया गया जिसके अनुसार उन मामलों में जहाँ स्थानान्तरण की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी स्थानान्तरण शुल्क 30 प्रतिशत लिया जाने लगा । इस पर नीलामी में आवृण्टित भूखण्ड के एक पट्टाधारक ने आपत्ति उठाई कि नीलामी वाले भूखण्डों के सम्बन्ध में शुल्क की यह बढ़ी हुई धनराशि बहुत अधिक है अतएव इस विषय ~~के~~ विकास प्राधिकरण के समक्ष 19-2-77 की बैठक में प्रस्तुत किया गया और उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भूखण्ड बिना नीलामी के आवृण्टित हुये हो उन पर यह दर 40 प्रतिशत तथा नीलामी में आवृण्टित भूखण्डों के सम्बन्ध में यह दर 15 प्रतिशत रखा जाय । जैसा प्रारम्भ में निवेदन ~~है~~ किया गया है 19-2-77 की बैठक की कार्यवाही की भाषा से यह स्पष्ट नहीं प्रतीत होता कि हस्तान्तरण शुल्क भूतकाल की तरह केवल उन मामलों में लिया जायगा जिन भूखण्डों

के पट्टा जिले में स्थानान्तरण की पूर्व अनुमति लेना प्राविधानित है जिससे भविष्य में आडिट इत्यादि में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि 19-2-77 के निर्णय के अनुसार सभी भूखण्डों के स्थानान्तरण पर शुल्क देय होगा चाहे उनका आवण्टन नीलामी द्वारा हुआ है अथवा अन्य प्रकार से । अतएव यह स्पष्ट करने की कृपा की जाय कि 19-2-77 के निर्णय का आशय यह है कि उसमें निर्धारित शुल्क केवल उन भूखण्डों के सम्बन्ध में देय होगा जिनके पट्टा विलेख में स्थानान्तरण के लिये पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है ।

ह0/- प्र० ना० वाजपेयी
अतिरिक्त सचिव ।

उपाध्यक्ष के आदेश:

उपरोक्त विषय प्राधिकरण के सख विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह0/-

उपाध्यक्ष

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 को 3-30 बजे अपरान्ह हुई बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या -6 का उद्धरण ।

- 0 - 0 - 0 -

मद सं0-6:

विकास प्राधिकरण योजनाओं में उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने विकास प्राधिकरण को अवगत कराया कि पट्टे की शर्तों के अनुसार जिन भूखण्डों के लीज होल्ड अधिकार को हस्तान्तरण करने के लिये प्राधिकरण की पूर्व अनुमति उपर्युक्त है उनके लिये भूतपूर्व नगर महापालिका, लखनऊ की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या 160 दिनांक 24.10.70 के अनुसार 5 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क जमा कराकर आवण्टी के लीज होल्ड अधिकारों को हस्तान्तरण की अनुमति दी जाती थी किन्तु यह देखा गया कि आवण्टित भूखण्डों को प्रायः लोग व्यक्तिगत लाभ हेतु अधिक दामों पर बेच देते हैं । उदाहरण के तौर पर लोगों को पहले जो भूखण्ड रु0 1.25 प्रतिवर्गफुट पर आवण्टित है बाद में वे इसे 8, 7, 6 रुपये प्रतिवर्गफुट की दर से बेच कर काफी मुनाफा लेते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुये कार्यकारिणी द्वारा पारित संकल्प संख्या 267 दि0 8-10-74 द्वारा हस्तान्तरण शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया तथा तदनुसार 1-10-76 के बाद से प्राप्त प्रकरणों पर 30 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क जमा कराकर भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकार हस्तान्तरण करने की अनुमति दी जाती है । श्री टैसी, विशेष सचिव वित्त विभाग ने कहा कि लेकिन जिन लोगों ने भूखण्ड नीलामी द्वारा क्रय किये हैं उन्हें पहले ही अधिक धनराशि चुकानी पड़ी है अतः उनको अनुमति दे दी जानी चाहिये । क्या इस सम्बन्ध में कोई विग्रह है ? कितने समय के बाद उनको अनुमति दी जानी चाहिये । उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने कहा कि जिन लोगों को आवण्टन द्वारा भूखण्ड आवण्टित किये गये हैं उनको ज्यादा लाभ होता है परन्तु जिन लोगों को नीलामी द्वारा भूखण्ड आवण्टित हुये हैं उनको लाभ कम होता है । परन्तु प्रतिशत के हिसाब से विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण शुल्क अधिक भुगतान करना पड़ेगा । श्री टैसी, विशेष सचिव वित्त विभाग ने कहा कि जिन लोगों को भूखण्ड आवण्टन पद्धति पर प्राप्त हुये हैं उनको हस्तान्तरण शुल्क 40 प्रतिशत की दर से तथा जिन लोगों को सार्वजनिक नीलाम की पद्धति से भूखण्ड मिले हैं उनको 15 प्रतिशत की दर से हस्तान्तरण शुल्क लेकर मात्र भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकार हस्तान्तरण करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

विवार विमर्श के परवात् सप्रसम्मति से यह तय पाया गया कि आवण्टित भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकार का हस्तान्तरण करने हेतु 40 प्रतिशत तथा नीलाम द्वारा दिये भूखण्ड के लीज होल्ड अधिकार 15 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लेकर लाज होल्ड अधिकार हस्तान्तरित करने की अनुमति दी जाय ।

दू कापी अटैस्टेड

हप/- देवी बक्स सिंह
स्टेनो टू सेक्रेटरी
24-3-77

लखनऊ नगर महापालिका, कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव संख्या 168
दिनांक: 24-10-70 (24-10-70)

आर्टम सं० 202

लखनऊ नगर महापालिका, कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 29-8-70 द्वारा नियुक्त प्लॉटों के स्थानान्तरण तथा नाम परिवर्तन न करने विषयक उप समिति के प्रतिवेदन दिनांक 3-10-70 पर विचार किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 160:

निश्चय हुआ कि समस्त योजनाओं में रजिस्ट्री किये गये प्लॉटों के स्थानान्तरण अथवा नाम परिवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित आधारों पर प्रदान की जाये :-

- 1- - भूखण्ड के आवण्टी जो यह नगर छोड़ना चाहते हैं ।
- 2- - अपने मित्रों को सम्बन्धियों को अथवा अन्य कारणों से किसी ब्यक्ति को अपना भूखण्ड हस्तान्तरित करना चाहते हों ।
- 3- - उक्त हस्तान्तरण की सुविधा महापालिका द्वारा चार्ज किये गये प्रीमियम की धनराशि का पाँच प्रतिशत धन महापालिका कोषा में जमा करने पर दी जा सकती है ।

- - - -

नोट : शुद्ध कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव संख्या 160 दिनांक 24-10-70 है । प्रस्ताव संख्या 168 नहीं ।

ह०/- के० के० शर्मा
1-8-73

ह०/- स्वामी दयाल मिश्र
सचिव
समिति विभाग

कार्यकारिणी समिति की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पारित सकल

संख्या 267 दिनांक 8-10-74

भूजाण्डों के हस्तांतरण में चार्ज किये जाने वाले शुल्क निर्धारण से सम्बन्धित कार्यकारिणी समिति के प्रचलित प्रस्ताव संख्या 160 दिनांक 24-10-1970 को निरस्त करके, उपरोक्त शुल्क हेतु प्रीमियम का 5 प्रतिशत निर्दिष्ट शुल्क लेजी से जमा कराने के स्थान पर प्रीमियम का 30 प्रतिशत शुल्क जमा कराने की स्वीकृति विषयक नगर अभियन्ता {विकास} की आख्या एवं उप प्रशासक के आदेश दिनांक 18-9-74 पर विचार किया गया ।

सकल सं० 267: निश्चयानुसार, महापालिका के भूजाण्डों के हस्तांतरण की अनुमति देते समय चार्ज किये जाने वाले शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यकारिणी समिति के प्रचलित प्रस्ताव संख्या 160 दिनांक 24-10-70 को यथा अनुशासा उप प्रशासक दिनांक 18-9-74 निरस्त किया गया तथा उपरोक्त विषयक अनुमति प्रदान करने हेतु भूजाण्ड के प्रीमियम का 30 प्रतिशत शुल्क निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई तथा -

निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रणाली 1 अक्टूबर, 1974 के बाद से प्राप्त प्रकरणों पर लागू होगी ।

राजीव रत्न शाह
प्रशासक

प्रमाणित
ह: अस्पष्ट
हेड क्लर्क कमेटी विभाग
नगर महापालिका, लखनऊ ।

प्रमाणित

ह0/- आर0बी0 पाण्डेय
प्रधान लिपिक ट्रस्ट

मुख्य अभियंता/सचिव/उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण को बैठक हेतु आस्था 0

लखनऊ विकास प्राधिकरण को बैठक हेतु आस्था 0

लखनऊ विकास प्राधिकरण को बैठक हेतु आस्था 0

विषय:- अलोगीज मार्ग एंव नगर प्रसार योजना में निमलिखित गृह निर्माण समितियोंको भूमि दिये जाने के विषय में निर्णय लिये जाने हेतु ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण को बैठक हेतु आस्था 0

1- जलकापुरी हाऊसिंग सोसाईटी :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण को बैठक हेतु आस्था 0 अलोगीज मार्ग एंव नगर प्रसार योजना वर्ष 1961 में निर्मित होकर नगर महापालिका अधिनियम को धारा 357 के अन्तर्गत दिनांक 17-3-62 को प्रकाशित की गई थी तथा अधिनियम को धारा 358 के अन्तर्गत इस योजना से प्रभावित सभी भू स्वामियों को इस आशय से नोटिस प्रेषित की गई कि यदि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्तियाँ हों तो वे नोटिस प्राप्त करने के दो माह के अन्दर अपनी आपत्ति नगर महापालिका कार्यालय में दें ।

उपरोक्त रिकार्डों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जलकापुरी हाऊसिंग सोसाईटी ने कोई आपत्ति निर्धारित समय में इस सम्बन्ध में नहीं भेजा नगर महापालिका को विकास समिति ने अपनी बैठक दिनांक 30-1-64 में सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त प्रस्ताव नम्बर 15 के द्वारा योजना पारित कर दी जिसे बाद में महापालिका ने सभी अपने प्रस्ताव सं० 188, दिनांक 10-3-65 के द्वारा पारित कर दिखाने चूड़ि योजना को लागत 10 लाख रु से अधिक थी अतः योजना शासन की स्वीकृति प्राप्त हेतु पारित कर दी गई थी । शासन को स्वीकृति से पश्चात वर्ष 1969 में ही योजना नगर महापालिका अधिनियम को धारा 363 के अधीन प्रकाशित कर दी गई थी । इस विभाग को दिनांक 3-3-65 को सर्व प्रथम मंत्री जलकापुरी हाऊसिंग सोसाईटी से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने विभाग को सूचित किया कि उन्होंने ग्राम फतेहपुर स्थिति खसरा सं० 137, 44 से 46, 254 से 258, 64, 69, तक खरोद ली है । जिसका क्षेत्रफल 14 बीघा 6 बिस्वा 13 बिघासी है । अतः इसे योजना से मुक्त कर दिया जाये जिसकेअन्तर् में उक्त सोसाईटी को इस विभाग को पत्र संख्या टी० 124/दिनांक 15-6-65 के द्वारा सूचित किया कि चूड़ि प्रश्नगत भूमि उपरोक्त योजना के प्रकाशन के उपरान्त छोड़ी गई है । अतः इसे अर्जन कार्यवाही से मुक्त नहीं किया जा सकता । इसके अलावा प्रश्नगत भूमि को अर्जन से मुक्त करने के लिये अनेक प्रार्थना पत्र इस विभाग को प्राप्त होते रहे हैं जोर शासन के माध्यम द्वारा भी कई पोटेशन इस सोसाईटी को जीए से प्राप्त हुये परन्तु प्रत्येक पोटेशन का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता रहा ।

:- 2 :-

उपलब्ध रिकार्ड से विदित होता है कि प्रस्तावित सीसाईटों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 1964 में हुआ था। अतः मैं महापालिका के प्रस्ताव सं068 दिनांक 20-1-70 के द्वारा निम्न शर्तों पर उन सभी सभ्यत्वियों को भूमि की योजना से मुक्त करने का निर्णय लिया जिनको -जिनको भूमि कम से कम एक बोधा क्षेत्रफल को ही तथा भूमि योजना के विधान से पूर्व क्रय को गइ हो अथवा रजिस्टर्ड सरकारों समितियों हो।

शर्त -1
लखनऊ

स्वामी अपना कुल भूमि का स्वामित्व महापालिका को विना कौन प्रतिकार लिये हस्तान्तरित कर देगा। इस जराय को एक एग्रीमेंट मुख्य नगर अधिकारों करी। वकील को फीस आदि चार्ज भी स्वामी ही वहन करेगा।

शर्त-2
लखनऊ

भू- स्वामी को योजना के स्वीकृत ले आउट के अनुसार जो भूमि सड़क पार्क तथा गल्लो आदि के अन्तर्गत आयेगी। योजना के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में महापालिका को मुक्त विना प्रतिकार सौंपना पड़ेगा।

शर्त-3
लखनऊ

भू- स्वामी को विकसित भूखंडों के क्षेत्रफल पर वार्षिक अनुपातित महापालिका द्वारा स्वीकृत विकास मूल्य देना होगा।

शर्त-4
लखनऊ

यह भूमि पुनर्निर्माण पर यथा संभव उपरि नगरीय केवल ग्रुप निर्माण हेतु दो जयेगी।

शर्त-5
लखनऊ

इसके अतिरिक्त अतिरिक्त विकास भू- स्वामियों को स्वीकृत ले आउट के अनुसार करने पड़ेगे तथा इस विषय में समुचित स्वीकृत विकास विभाग देगा।

अथवा

भू- स्वामियों जिनको भूमि कम से कम। बोधा हो भू स्वामियों को कुल भूमि का 25% विकसित भाग उचित किराये पर पट्टे पर हो देना जयेगा। शर्त यह है कि भू-स्वामियों कुल भूमि को महापालिका को विना प्रतिकार लिये स्वीकृत देवे जो भूमि योजना स्वीकृति दानके बाद क्रय को गई हो न बोधा जाय। प्रस्तावित भूमि पुनर्निर्माण पर अथवा यथा संभव उसके समोव केवल भवन निर्माण हेतु दो जयेगी।

आर0के0/24

उपरोक्त शर्त केवल व्यक्तिगत निवास के लिये भूमि चाहने वाले व्यक्तियों तथा रजिस्टर्ड सहकारी गृह समितियों के लिये लागू होंगे । परन्तु कालोनाईजर इस लाभ से वंचित रहेंगे । इस प्रस्ताव के संदर्भ में अलकापुरी गृह निर्माण समिति एवं नगर महापालिका के बीच दिनांक 25-1-71 को एक अनुबंध हुआ परन्तु प्रश्नगत प्रस्ताव सं० 68 में कुछ त्रुटियाँ होनेके कारण प्रशासक काल में नगर महापालिका में पुनः अपने प्रस्ताव सं० 88 दिनांक 26-2-74 के द्वारा उक्त प्रस्ताव सं० 68 को संशोधित कर दिया जिसके अनुसार अभी तक इस सौसाईटी से कोई अनुबंध नहीं हुआ है । महापालिका अलकापुरी गृह निर्माण समिति को भूमि का कच्चा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के माध्यम से वर्ष 1972-73 में प्राप्त कर लिया था बाद में योजना के अंतर्गत उपरोक्त सभी भू खंडों जिन्होंने कि प्रश्नगत भूमि पर स्थिति भूखण्ड भी शामिल थे लाटरी द्वारा सन् 1974 में आवंटित कर दिये गये । जब अलकापुरी गृह निर्माण समिति से प्रतिस्तर लेनी हेतु सुलह नामा पत्र भरकर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 24-2-77 को दिया इसके अंतर्गत सं० 0-6999वैके प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फर्क प्रतिस्तर भूगतान कराने का प्रावधान है इसके भूगतान हेतु कार्यवाही को जा रहा है ।

सौसाईटी के सदस्य दिनांक 28-8-77 को उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण से मिले के बाद उन्होंने अपने पत्र सं० निल दिनांक 21 जुलाई 1977 के द्वारा न० 53 भूखण्ड मंगा है ।

2- नरिन्द्र देव कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी
लखनऊ नगर कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी

नरिन्द्र नगर कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी का सर्व प्रथम पत्र दिनांक 2 अक्टूबर 1963 को नगर महापालिका को प्राप्त हुआ जिसमें कुछ जमीन गृह निर्माण करने हेतु अर्जन से मुक्त करने की प्रार्थना की गई थी । इनके प्रार्थना पत्र पर महापालिका ने अपने प्रस्ताव सं० 183 दिनांक 10-3-1965 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि योजना के प्रकाशन से पूर्व जितनी भूमि सोसाईटी ने क्रय कर ली है उसे योजना से बाहर दिया जाये । सोसाईटी ने उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी जो लम्बे अर्से तक सोसाईटी से प्राप्त नहीं हो सकी । पत्रावली देखने से पता चलता है कि वास्तव में सोसाईटी ने योजना विभाग के पश्चात वर्ष 1962 में 9 बीघा 0 बिस्वा 15 बिसवासी भूमि क्रय की थी बाद में 1973-74 में सोसाईटी के कुछ सदस्यों ने अपनी भूमि जिसका क्षेत्रफल 7 बीघा 1 बिस्वा 10 बिसवासी था । सोसाईटी के पक्ष में हस्तांतरित कर दो इस प्रकार से अब सोसाईटी के पास 16 बीघा 13 बिस्वा 5 बिसवासी 0 कवासी भूमि है । महापालिका के प्रस्ताव संख्या 88 दिनांक 8-2-74 के अनुसार सोसाईटी के साथ कोई अनुबंध नहीं हो सका है । महापालिका के प्रस्ताव संख्या 88 दिनांक 8-2-74 के अनुसार इनके सम्बन्धित महापालिका को प्रस्ताव संख्या 183 दिनांक 10-3-76 सुधारसोड कर दिया गया । यह सोसाईटी अपनी भूमि

का रकबा 0.6999 सै प्रति वर्ग फुट को दर से सुलह नमों के आधार पर उन उन खसरो को जिनके खाई पहले हो घोषित कर दिये गये थे वोडकर मुआवजा प्राप्त कर सकते है ।

3- श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति

इस सोसाईटी का सृजन 1967 में हुआ तथा प्रवाशन के बहुत समय पश्चात सोसाईटी ने वर्ष 1967 में फतेहपुर ग्राम के खसरा नम्बर 214 में दो बोधा दो विद्या भूमि खरोदो इस गृह निर्माण समिति ने 1967 में भू भाग का सब डिवीजन प्लान कुम्भ नगर एवं ग्राम नियोजक के यहाँ प्रस्तुत किया था जिसपर उन्होंने तकनीकी आपरित रहित पत्र दिया था परन्तु भूमि जिसके लिये नक्सा जमा किया गया था वह अलोगीज योजना को अन्तर्गत आती थी जिसका नोटिफिकेशन सर्वे प्रथम दिनांक 17-3-62 को हो हो गया था इस संस्था ने 1967 में श्री जगदोरा चंद्र जैशी से अपने पक्ष में भूमि हस्तान्तरित करवाई थी जिसे सन् 1966 में श्री जगदोरा चंद्र जैशी ने अपने नाम से खरोदा था ।

इस संस्था ने भूमि को अर्जन को कार्यवाही से मुक्त करने हेतु प्रार्थना की थी चूंकि महापालिका द्वारा पारित प्रस्ताव एवं नोटिसों के विषयगत का अतः इनको भूमि अर्जन से मुक्त करना सम्भव नहीं हो पाया । महापालिका के प्रस्ताव संख्या 88 दिनांक 8-2-74 के अन्तर्गत भी इस सोसाईटी के साथ कोई अनुबन्ध नहीं हो सका यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रसंगत सोसाईटी को कोई भी अंश कुल भाग पर अनाधिकृत अतिग्रहण भी है । जिन्हे खाली कराना हैगा ।

4- लखनऊ विश्वविद्यालय सहकारी गृह निर्माण समिति

लखनऊ विश्वविद्यालय सहकारी गृह निर्माण समिति ने सर्वे प्रथम दिनांक 8-8-72 को एक पत्र नगर अभियंता विकास को भेजा जिसके द्वारा सूचित किया कि अलोगीज योजना के ग्राम फतेहपुर में तीन बोधा 19 विद्या 0 विसवाफसी 0 कचवासी भूमि श्री राम कुमार अग्रवाल से उन्होंने सन् 1972 में ख्रय कर ली है जिसका समिति ने श्री अग्रवाल को अंतिम भुगतान कर दिया है तथा उन्होंने इसे योजना से मुक्त करते हुये समिति के पक्ष में आवंटित करने की प्रार्थना की ।

४: 5:-

यह है यह उल्लेखनीय है कि श्री राम कुमार अग्रवाल ने महापालिका के प्रस्ताव संख्या 68 दिनांक 20-1-70 के अनुसार इस विभाग से अनुबद्धा करके स्रया 16'000/- आशिक विकास मुख्य जमा कर चुके थे। परन्तु उन्होंने उपयुक्त विषय में शेष धनराशि जमा करने के बजाय जमोन को विश्वविद्यालय सहाकारी गृह निर्माण समिति के हाथ देव दिया। अब स्थिति यह है कि प्रसंगत भूमि का कब्जा विशेष अध्याप्ति अधिकारी द्वारा नगर महापालिका /विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो गया है तथा इस पर दो कमरे वाले भवनो का निर्माण हो चुका है

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित और भी भवन गृह निर्माण समितियों ने अपने पक्ष में भूमि कौटने को प्रार्थना की थी।

- क- प्रबोध भवन निर्माण कीआपैरिटिवसोसार्डेटो
- ख- बन्धु सहकारी गृह निर्माण समिति
- ग- आज्ञा सहकारी गृह निर्माण समिति
- घ- नन्द विश्वियम सहकारी गृह निर्माण समिति
- च- लखनऊ जन कल्याण सहकारी गृह निर्माण समिति
- छ- पुढीनया गृह निर्माण समिति
- ज- श्री चन्द्र शिखर आज्ञा सहकारी गृह निर्माण समिति

उपरोक्त वर्णित कर्षी ज तक की गृह निर्माण समितियों का प्रदुर्भाव 1962 बहुत बाद हुआ तथा यह समितियाँ कई वर्षों से इस प्रकार की भूमि आदि कौटने को मगि नही कर रही है। अतः इन समितियों की भूमि देने के विषय में विचार करने की कोश आवश्यकता प्रतीत नहीं होते है।

श्री कौआरिटव सोसार्डेटो की भूमि का विषय 1972 (जब असीमज आवास योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आर्षीवत स्थि जा रहे थे) से विचारागमोन है। इसी कारण से दिनांक 8-7-75 को उत्तर प्रदेश शासन की एक पत्र भेजा गया जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय गृह निर्माण समिति को स्रया 5-50 प्रति वर्ग फुट की दर से 50% विकसित भूमि के आवंटन के प्रस्ताव पर निर्णय ले मगि को गह है।

शासन ने अपने पत्र दिनांक 2-8-77 द्वारा यह सुचित किया सहकारी गृह निर्माण योजना समिति को भूमि के नामले के निस्कारण की संवद्धा में विकास प्राधिकरण स्वयं सक्षम है।

शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार क्रम संख्या 1 से 4 तक वर्णित गृह निर्माण समितियों को उनको भूमि का 25% उन्हें मिला 5-30, 5-50 पैसे प्रति वर्गफुट को दर से दे दी जाये तथा उक्त समितियाँ अपने स्वामित्व के आधार पर अपनी भूमि का प्रतिफल 0-6999 पैसे प्रतिवर्ग फुट को दर से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त भूमि लोख पर दी जायेगी तथा अलॉर्ज योजना के सभी नियम लागू होंगे यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस समय कुछ भूखण्ड सेक्टर 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' में सेक्टर 'क' के सभी भूखण्ड उपलब्ध हैं। यदि सेक्टर 'ए', 'बी' तथा 'सी' में जो भूखण्ड उपलब्ध हैं वह स्टैंडर्ड हैं तथा नगर के निकट है अतः इन सेक्टरों में उपलब्ध भूखण्डों को क्रम संख्या 1 से 4 तक वर्णित गृह निर्माण समिति के सदस्यों के मध्य लाटरी द्वारा आवंटित किया जाये तथा यदि सदस्यों को सेक्टर 'क' में योजना के ले आउट, शासन के अनुसार भूखण्ड एक ही स्थान पर आवंटित किये जायें। सेक्टर 'ए' में रिक्त भूखण्डों का विवरण निम्न प्रकार है :-

बी-1 प्रकार के भूखण्ड 26 से 30 = 5 नं० (साइज 40, 'x80')
 बी-2 प्रकार के भूखण्ड 7 से 20 = 14 नं० (,, 30 'x60')

सेक्टर 'बी' में रिक्त भूखण्डों का विवरण:-

बी-1 प्रकार के भूखण्ड 13 से 22 = 10 नं० (60 'x100')
 बी-2 प्रकार के भूखण्ड 42 से 47 = 2 नं० (45 'x90')
 बी-3 प्रकार के भूखण्ड 78 = 1 नं० (40 'x80')

सेक्टर 'सी' में रिक्त भूखण्डों का विवरण

सी-1 प्रकार का भूखण्ड संख्या 3 = 1

क्रम संख्या 1 से 4 तक उल्लिखित गृह निर्माण समितियों को अलॉर्ज योजना में भूमि दिये जाने पर विचार करने हेतु आश्वासन प्रस्तुत है। यदि प्राधिकरण चाहे तो उक्त समिति को उनको भूमि के बदले में उक्तके कुल भूमि का 25% उन्हें 5-30, 5-50 प्रति वर्ग फुट को दर से भूखण्ड दिये जाये तथा उक्त समितियाँ अपने स्वामित्व के आधार पर अपनी भूमि का प्रतिफल 0-6999 पैसे प्रति वर्ग फुट को दर से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त भूखण्ड लोख पर दिये जायेंगे तथा अलॉर्ज योजना के सभी नियम लागू होंगे।

ह० श्याम जो अवरज्ज
 अधि शासक अभियन्ता (आवास)
 7-10-77

ह० एस०एस०सी० अवरज्ज
 दिनांक 8-10-77
 मुख्य अभियन्ता

कमरा उक्त विषय तदनक विचार प्राधिकरण को बैठक में प्रस्तुत करें।

ह० बाबूराज
 8-10-77
 सचिव

मफ नं० - 8

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आज्ञा

विभाग- प्लानिंग विभाग ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से स्वीकृत मास्टर प्लान के प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "डी" ज़ोन नं० 8 तथा 9 का ड्राफ्ट जोनल प्लान प्राधिकरण के अभियन्त्रण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर §ड्राफ्ट्स जोनल प्लान के लिये अध्याय 3§9§ यू०पी० अरबन डेवलपमेन्ट ऐक्ट के आधार पर बनाकर प्लान की सौदृष्ट रूपरेखा तथा प्रस्तावों को समझाते हुये एक आज्ञा अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है । प्राधिकरण की स्वीकृति के परचाद उक्त प्लान जनता की जानकारी एवं विचारार्थ प्रकाशित किया जायेगा, और इसकी प्रतियाँ उपलब्ध की जायेंगी । जिससे सभी व्यक्ति इसे जाँच सके एवं अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

ह०/-
सहायक नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

ह०/- बाबू राम
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

ह०/- के० पी० सिंह, 21.11.77
वरिष्ठ नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह०/- एन० बी० लाल
23.11.77
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

मद सं०-9

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग :- प्लानिंग विभाग ।

विषय-वस्तु : पत्रावली पर सलग्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास हेतु जो डिज़ायन कार्यालय प्रांगण में जिस स्थल पर प्रस्तावित की गई है वहाँ का रेयर सेट बैक 35 फिट से कम आ रहा है । स्थान की कमी होने के कारण इस भूमि पर इस डिज़ायन से अतिरिक्त दूसरा कोई भी इकनॉमिकल डिज़ायन का समावेश करना सम्भव न हो पायेगा । फलस्वरूप रेयर सेटबैक 35 फिट से कम आ रहा है । अतः प्राधिकरण द्वारा इस सेट-बैक की छूट लेना अनिवार्य है ताकि यह डिज़ायन स्थल निर्मित कराई जा सके ।

ह०/-
सहायक वास्तुविद्
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ । 21.11.77

ह०/- बाबु राम
सिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

ह०/- के०पी० सिंह
वरिष्ठ नगर निरीक्षक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ । 21.11.77

प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह०/-
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

लखनऊ विभाग प्राधिकरण के विद्यारथी आख्या

विषय वस्तु- मुख्य अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना हेतु स्टाफ

लखनऊ विभाग प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के अधीन निम्नलिखित विभाग हैं :-

- १- आवास सैंड -१
- २- आवास सैंड -२
- ३- विभाग सैंड -३
- ४- विभाग सैंड -४
- ५- अर्जन विभाग

इन विभागों की सभी पूर्ण क्षमता पर संयुक्त नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि मुख्य अभियन्ता के एक नियोजित कार्यालय की स्थापना की जावे। अतः मुख्य अभियन्ता का कोई भी कार्यालय विभाग प्राधिकरण में नहीं गठित हुआ है। वहीं वाली स्टाफ में भी सभी आयोग जानका है जोकि अपरिजनक है। अन्य विभाग प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के कार्यालय का गठन स्टाफिंग पेटनी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है परन्तु लखनऊ विभाग प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता कार्यालय का गठन न होने के कारण दैनिक पूर्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है। स्टाफिंग पेटनी में मुख्य अभियन्ता कार्यालय हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन की प्रस्तावना की गई है :

<u>क्र. संख्या</u>	<u>पदों का नाम</u>	<u>संख्या</u>	<u>वैतन क्रम</u>
१-	मुख्य अभियन्ता	१	१४००-१८००
२-	टेक्निकल सहायक अधिकारी	१	१५५०-१९५०
३-	कार्यालय अधीक्षक	१	४००-५५०
४-	लिपिक प्रथम श्रेणी	१	२५०-४२५
५-	लिपिक द्वितीय श्रेणी	२	२००-३२०
६-	पी.एस.०	१	३००-५००
७-	ड्राईवर	१	१७५-२५०
८-	चपरासी	१	१८५-२१५

उपर्युक्त तालिका में अंतिम पदों में से फिलहाल अभियन्त्रणा विभाग के दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के गठन हेतु निम्नलिखित पदों के सृजन की अनुशंसा की जाती है :

<u>क्र. सं०</u>	<u>पदों का नाम</u>	<u>सं०</u>	<u>वैतन क्रम</u>	<u>अनुमानित वार्षिक व्यय</u>
१-	अधीक्षक कार्यालय	१	४००-५५०	७००८।-
२-	पी.एस.०	१	३००-५००	५५५४।-
३-	लिपिक प्रथम श्रेणी	१	२५०-४२५	४६५६।-
४-	लिपिक द्वितीय श्रेणी	१	२००-३२०	७७४०।-

उक्त पदों की निम्नलिखित एक वर्ष के लिये सृजित करने की प्रस्तावना की जाती है। एक वर्ष में इन पदों पर लगभग २४,६५०-६० टका व्यय होगा। अन्य पदों की पूर्ति विद्या प्राविशरण में उपरुक्त अर्थों से सम्भाली जायेगी।

ह० एस०एन०पी०अग्रवाल
मुख्य अभियन्ता

उपाध्यक्ष

कृपया इस विषय की आगामी लगभग विद्या प्राविशरण की बैठक में रहने की अनुमति प्रदान करें।

ह० एस०एन०पी०अग्रवाल
मुख्य अभियन्ता

ह० एन०वी०अग्रवाल
२३-११-७७
उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्यार्थी छात्रा

कुसी रोड पर वन विभाग के १३०० एकड़ भूमि पर कैटिल कालोनी स्थापित करने की परस्तावना है। यह योजना शासकीय स्तर पर हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वर्ष १९७६ में प्रारंभ की गई थी। इस योजना पर अब १-६२ लाख रुपये व्यय किया जा चुका है।

कुसी रोड पर कामधेनु नगर की ३१३-४३ लाख रुपये की योजना जिसकी हकनौचिक्स संलग्न है विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २-७-७७ में स्वीकृतार्थ प्रस्तुत की गई थी। परन्तु हकनौचिक्स की रसीदुक्ति नहीं प्राप्त हो सकी। इसी संबंध में आयुक्त एवं सचिव, स्वच्छ शासन की अध्यक्षता में दिनांक १७-७-७७ को एक बैठक हुई जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है तथा जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कुसी रोड पर वन विभाग की भूमि पर कैटिल कालोनी का कार्य चालू रखा जाय। अतः शासन के निर्देशानुसार कुसी रोड पर कैटिल कालोनी का कार्य चालू रखने तथा साथ ही ही साथ २० ३१३-४३ लाख की हकनौचिक्स की स्वीकृति से संबंधित विषय प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

हं०/—

नगर अधिष्ठाता (विकास) (11)

सचिव, उपाध्यक्ष

उपरिक्त विषय की विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृतिप्रदान करने की कृपा करें।

हं०/—

मुख्य अधिष्ठाता

ECONOMICS OF RAJDHELU NAGAR

Project Cost 313.43

<u>A. Cost of development</u>	<u>Per Hect.</u>	<u>Total in Lacs</u>
1. Cost of land	40,919.00	91.24
2. Site levelling etc.	1,000.00	2.23
3. Roads & Drains	30,000.00	66.90
4. Water Supply	15,000.00	33.45
5. Electrification	10,000.00	22.30
6. Storm Water Drain	15,000.00	33.45
7. Land sca/ana	2,000.00	4.46
8. Administrative block etc.	L.S.	5.00
		<u>259.03</u>
 B. Supervisors & Administrative Charges 10%		 25.90
 C. Interest on investment on Dev. cost for half of the project period 10% for one year.	 L.S.	 <u>28.50</u>
	Total cost	<u>313.43</u>

Hence cost of land per= Sc.11
 (Plot area 70.36 sqm) = $313.43 \times 1.70.36 = \text{Rs. } 44.50 \text{ sq.m.}$

<u>Investment</u>	<u>Receipt</u>	<u>Lacs</u>
A. Rs. 313.43 lacs	1. Advance deposit	66.00
	2. Outright sale	60.43
	3. Instalment (257.96-66)	191.40
	4. Comm. plots outright sale	0.56
		<u>318.39</u>

Net surplus A-B

$$313.43 - 318.39 = 4.96$$

नगर के बाहर कालोनी के निर्माण की प्रस्ताव विचार करने हेतु आहुत
 एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता एवं उनके पदा में दिनांक
 १७ अगस्त, १९७७ को मध्यान १२ बजे हुई बैठक की कार्यवाही का विवरण।

इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

- १- श्री आर०बी०सहस्रना, आहुत एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग- अध्यक्ष
- २- श्री राम चन्द्र टाडरू, जिलाधिकारी, लखनऊ।
- ३- श्री मोहर सिंह, उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
- ४- श्री तिलकमान सिंह, दुग्ध विकास अधिकारी, लखनऊ।
- ५- श्री नरेश कयाल, उप सचिव, पशुमालन

आहुत एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग कैटिल कालोनी के सर्व्व ने की
 गई प्रगति के बारे में जानकारी चाहते थे। परन्तु इस विषय पर विस्तृत रूप से
 प्रकाश नहीं हो सका था क्योंकि प्रशासन, नगर महापालिका, लखनऊ इस बैठक
 में उपस्थित नहीं हो सके थे और न ही उनकी ओर से किसी प्रतिनिधि ने ही
 इस बैठक में भाग लिया। अब तक जो रिपोर्ट प्रशासन, नगर महापालिका, लखनऊ
 से प्राप्त हुई है उसमें अनुमान कुकी रोड पर वन विभाग में माध्य ४५० एकड़ भूमि
 पर विकास प्रविर्ण द्वारा १-५२ कास रूप में व्यय किया जा चुका है।
 आगे के कार्यवाही के विषय में आहुत एवं सचिव, स्वायत्त शासन ने निर्देश
 दिए कि कैटिल कालोनी के विषय में कार्य जारी रखा जाए।

दुधार पशुओं की कैटिल कालोनी के जाने के विषय पर भी विचार
 विचारी किया गया। इस पर यह निर्णय लिया गया कि नगर महापालिका कैटिल
 कालोनी में ऐसी सुविधा हेतु प्राविर्ण करे कि जहाँ तब तक नगर के बीच से दुधार
 पशुओं की कैटिल कालोनी को ले जाये। साथ ही साथ नगर महापालिका दुधार
 पशुओं को रखने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ सख्त नियम भी बनाये जिसे उनके पालिक
 हन्हे नगर में रखना बन्द करके कैटिल कालोनी में हन्हे के जाने पर प्रेरित हो।

जिलाधिकारी लखनऊ ने अपने उक्त प्रस्ताव की पुनः दोहराया कि नगर
 के अन्य पौत्रों में भी कैटिल कालोनी का निर्णय किया जाय ताकि बहरा के नागरिकों की
 को दुध मिलने में कोई कठिनाई न हो। इस सर्व्व ने प्रशासन, नगर महापालिका,
 उन स्थानों के विषय में अपनी आख्या दे जिस पर कैटिल कालोनी बनाया जाना
 प्रस्तावित है और भूमि भी उपलब्ध हो सके।

विकास प्राधिकरण के आदेशार्थ आख्या

विषय : नियोजन विभाग की बैठक (त्रैमासिक योजना प्रगति पर विचार हेतु) दि. 10-11-77 पर विचार ।

नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वार्षिक योजना की त्रैमासिक प्रगति समीक्षा पर विचार विमर्श हेतु एक बैठक 11-10-77 को अधिवेशन में हुई थी जिसमें प्राधिकरण की ओर से मुख्य लेखा अधिकारी ने भाग लिया था । बैठक की कार्यवाही के विकास प्राधिकरण में सम्बन्धित अंश उद्धरण अंश संलग्न है ।

बैठक में प्राधिकरण को वर्ष 1976-77 में शासन से प्राप्त (2.50) करोड़ की आधारित पूंजी पर विचार विमर्श हुआ, आयुक्त एवं सचिव, नियोजन विभाग ने उसके उद्देश्य की स्थिति जानना चाही है जिसके उत्तर में उनको बताया गया कि उक्त ऋण प्राविधान वर्ष 1977-78 में कर लिया गया है तथा पोस्ट ऑफिस काम्प्लेक्स पर अब तक रु० 72.00 लाख व्यय किया गया है तथा काम्प्लेक्स की आय से उसकी परिपूर्ति कर दी जायेगी परन्तु नियोजन सचिव ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की कि आधारित पूंजी के बिना शासन की स्वीकृति के काम्प्लेक्स पर व्यय किया जाना चाहिये था उन्होंने यह भी कहा कि इसकी परिपूर्ति शीघ्र ही कर दी जाये ।

इस सम्बन्ध में यह इंगित करना उचित प्रतीत होता है कि हजरतमंज काम्प्लेक्स के सम्बन्ध में (रु० 95 लाख) का ऋण सेक्टर बैंक से स्वीकृति कराया गया था जिसमें से (40 लाख) का ऋण प्राप्त भी हो गया है इस ऋण पर व्याज की दर 15% है परन्तु उद्योग आधारित ऋण पूंजी के प्राप्त हो जाने पर बैंक से 15% व्याज की दर पर लेना उचित नहीं समझा गया तथा सीडकैपिटल से धराराशि का मुनताब किया गया इसी दो ^{समाप्त} प्राधिकरण को प्राप्त हुए ।

सर्व प्रथम यह कि उद्धृत व्याज की दर से बचा गया तथा सीडकैपिटल को एक ऐसी बात योजना में व्यय करना प्रारम्भ कर दिया गया जिससे पूंजी उत्पादन शीघ्र ही होने की आशा है । इसी कारणवश मूल बजट में संशोधित ऋणों के अर्जन केवल एक मात्र रु० का ही प्राविधान किया गया है शेष धराराशि ऋण मॉर्म पत्र की धराराशि से या पूंजी मॉर्म पत्र की धराराशि से व्यय की जायेगी ।

आयुक्त एवं सचिव नियोजन विभाग की आपत्ति का निराकरण केवल सिम्बलिजित को उपायों से हो सकता है ।

क) हजरतमंज काम्प्लेक्स पर सीडकैपिटल से व्यय किये जाने की शासन से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

ख) सीडकैपिटल से अितनी धराराशि व्यय की गई है या व्यय की जा रही है की परिपूर्ति दिवेव्यय का धराराशि से कर दी जाय एवं हजरतमंज काम्प्लेक्स से आय प्राप्त होने पर दिवेव्यय की धराराशि की परिपूर्ति उससे कर दी जायेगी ।

प्रत्यय निम्न कारणों से पत्र प्रस्तुत किया गया था क्योंकि यह औचित्यपूर्ण समझा

है अतः उपाध्यक्ष महोदय ने इस विषय को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदाय किए हैं ।

अतः प्राधिकरण को आदेशार्थ प्रेषित है कि वह कृपया "क" अथवा 'ख' को अनुमोदित करने का कष्ट करें ।

वर्ष 1976-77 की वार्षिक योजना तथा वर्ष 1977 की प्रथम त्रैमासिक योजना की प्रगति समीक्षा की बैठक की कार्यवाही - दिनांक 11-10-77 का उद्घरण ।

= = = = =

उपस्थिति संलग्न है ।

आवास

आवास सेक्टर के लिए 1976-77 में ₹ 213.00 लाख का परिव्यय आवंटित था ।

जिसके समस्त आय-व्यय प्राविधान ₹ 613.00 लाख किया गया । आय व्ययक में अधिक प्राविधान का विशेष कारण यह था कि इसमें ₹ 400.00 लाख का प्राविधान आवास-विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण के लिए सीड कैपिटल हेतु सम्वित कर लिया गया जबकि उसके समस्त कोई परिव्यय उपलब्ध नहीं था । विभाग द्वारा वर्ष 1976-77 का कुल व्यय ₹ 650.00 लाख बताया गया ।

यद्यपि कुल मिलाकर व्यय बजट प्राविधान से अधिक हुआ तथापि प्रस्तावित 2 योजनाओं में अर्जित हुआ ।

	परिव्यय	व्यय	शोर्टफाल
1- सबसीडाइज इन्फ्रीस्ट्रक्चर योजना	56.00	43.98	12.02
2- लो इंकम ग्रुप योजना	31.50	30.00	1.50

विशेष सचिव नियोजन द्वारा शोर्टफाल का कारण पूछने पर विभाग ने यह बताया कि पहले रायबरेली स्थिति श्रमिक क्वार्टरों का निर्माण कार्य केन्द्रीय भवन कार्य-केन्द्रीय-भवन अनुसंधान शाला द्वारा किया जाता था परन्तु बाद में यह तय हुआ कि इनका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निरूपादित किया जाय । इसके लिए सम्वित विभागों के बीच पत्रव्यवहार में काफी समय लग गया । इसीलिए पूरे परिव्यय का उपयोग नहीं हो सका । इस सम्बन्ध में यह भी बताया गया कि इस योजना के अर्जित 600 मकान बनाने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध केवल 45 मकान निर्मित हो सके तथा 142 का शोर्टफाल हुआ ।

इस विषय पर नियोजन सचिव ने यह जिज्ञासा व्यक्त की कि इस योजना के अर्जित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तथा आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने मकान बनाए थे और उनके समस्त कितने मकान बन चुके हैं । इसकी वर्षवार सूचना दी जाय । उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि जो भी आवास बन चुके हैं उनका उपयोग सत प्रतिशत हो रहा है अथवा नहीं । संयुक्त सचिव, आवास ने यह बताया कि यद्यपि उपयोग तो शत प्रतिशत है तथापि उसमें अनाधिकृत रूप से कुछ मकानों पर कब्जा किया गया है जिसमें कुछ सुरक्षा विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं । नियोजन सचिव ने कहा है इसकी वास्तविक सूचना निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध कराई जाय ।

स्वीकृत आवासों की संख्या	निर्मित आवासों की संख्या	आवासों की संख्या जिसमें योजनाइज व्यक्ति रहते हैं	आवासों की संख्या जिसमें अनाधिकृत रूप से लोग रह चुके हैं
1	2	3	4

वर्ष 1974-75 अब तक की स्थिति

(कार्यवाही आवास विभाग)

नियोजन सचिव ने, वर्ष 1976-77 में लक्ष्यक विकास प्राधिकरण को ₹ 250.00 लाख तथा आवास विकास परिषद को 150.00 लाख सीड कैपिटल के रूप में लक्ष्य धराराशि के विषय में यह जानना चाहा कि इसके समस्त संस्थागत धन से उक्त संघटनों द्वारा कितनी धराराशि प्राप्त की गई । विभाग द्वारा यह बताया गया कि संस्थागत धन से कोई भी धराराशि अभी तक प्राप्त नहीं की गई । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस

धनराशि का उपयोग रीवाल्विंग फंड के रूप में किये जाने का प्रस्ताव है । लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने बताया कि रु 250 लाख में से लगभग 72 लाख रु 80 हजारवांश कामर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण तथा भूमि अध्यापन पर व्यय किया गया । नियोजन सचिव ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की कि सीड कैपिटल में से कामर्शियल कॉम्प्लेक्स पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जाती चाहिये थी और व तो इसके लिए शासन की स्वीकृति ही प्राप्त की गई । विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है । नियोजन सचिव ने यह अग्रह किया कि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र कर दी जाय तथा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाय कि सीडकैपिटल की धनराशि का उपयोग रीवाल्विंग फंड के रूप में शीघ्रातिशीघ्र किया जाय ।

आवास विकास परिषद ने भी 150 लाख रुपये के उपयोग के विषय में जो स्थिति बताई वह संतोषजनक नहीं थी ।

X—————X

संलग्न विकास प्राधिकरण के मूल बजट 1977-78 को अर्धवार्षिक प्रारंभिक समीक्षा

संलग्न विकास प्राधिकरण का मूल बजट 1977-78 प्राधिकरण द्वारा 8-7-77 को पारित किया गया था इस से पूर्व अधिष्ठाता एवं वार्षिक योजनाओं पर व्यय करने हेतु अधिनियम के आदेश प्रदान किए थे । परिणामस्वरूप प्रारंभिक अर्धवार्षिक अवधि में आय की प्रगति बहुत ही कम रही क्योंकि कई योजनाओं की प्रगति रुकी रही ।

संतुल्य बजट के पारित आय-व्यय के अनुमान तथा वास्तविक स्थिति का सारांश में विवरण संलग्न है ।

विवरण के आय पक्ष (साभाव्य प्रशासन) में आय प्रगति संतोषजनक रही क्योंकि इन में वार्षिक आय श्रोतों से आय प्राप्त होती है । महंगाई भत्तों की परिपूर्ति की मद में आय कम होने का प्रमुख कारण यह है कि शासन के परिपूर्ति बन्द कर ही है । अभियन्तण राजस्व के आय पक्ष पर प्रमुख रूप से योजनाओं का प्रभाव पड़ा तथा आय प्रगति कम रही ।

संतुल्य विवरण के व्यय पक्ष से यह स्पष्ट है कि व्यय प्रमुख रूप से योजनाओं पर पूंजीगत कार्य पर बढ़ा है क्योंकि इस बात की चेष्टा की गई कि शीघ्रातिशीघ्र योजनाओं पर ध्यान देकर आय के लक्ष्य को पूरा किया जाय । 30-9-77 तक शासन को रु 1,72,300/-, हड़को को रु

रु 15,29,025/- बैंक को रु 2,15,000/- तथा नृण मॉन पत्र पर व्यय रु 9,78,500/- का मूल एवं व्यय धन का भुगतान किया गया साथ साथ नृण मॉन पत्र के मूल धन के प्रतिदाता हेतु निक्षेप विधि को भी निरन्तर भुगतान होता रहा है तथा किसी प्रकार का वितर्क भी उत्पन्न नहीं हुआ ।

पूंजीगत आय में विभिन्न श्रोतों से नृण वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की संभावना है । 30-9-77 तक हड़को से फेज तीन के अवशेष में से रु 12.50 लाख तथा चतुर्थ फेज की प्रथम किस्त रु 11.55 लाख का नृण प्राप्त हुआ ।

उपरोक्त श्रेणी में साधारणतया आय-व्यय विनियोजन के आहरण एवं भुगतान से जुड़े हैं । जो विनियोजन देय हो गये थे उनको बिना चेक सर्विंग बैंक खातों में व्यय हाबि से लचके के लिए रख दिया गया तथा सरप्लास धरारशि बढ़ी अवधि के लिए विनियोजित कर दी गई ।

सारांश में मूल बजट 1977-78 की 30-9-77 तक की वास्तविक स्थिति निम्नवत् रही है ।

आय पक्ष	बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक आशेष	6,70,37,806	2,50,87,806
राजस्व लेखा	5,11,26,500	45,63,312
पूंजी लेखा	1,37,15,500	24,05,000
उपलब्ध लेखा	2,26,60,000	2,16,50,000
योग =	15,45,39,806	5,37,06,443
<u>व्यय पक्ष</u>		
राजस्व लेखा	2,91,61,944	61,49,527-
पूंजी लेखा	10,23,37,303	96,39,219-
उपलब्ध लेखा	2,29,47,406	38,31,478-
योग =	15,44,46,653	2,46,20,224-
अज्ञित अवशेष =	93,153	2,90,86,219
	15,45,39,806	5,37,06,443

* इस अवशेष के अतिरिक्त 2.85 करोड़ की विधियोजित धराराशि थी कुल उपरोक्त अवशेष रु 576.36 लाख था ।

उ. रो. का विस्तृत विवरण संलग्न है जिसमें प्रमुख मदों के प्राविधान उनके विरुद्ध वास्तविक अंकड़े दर्शाए हैं ।

प्राथमिक के समझ प्रेषित है ।


सचिव,

श्रेणियों का नाम	आय		अभियोग		अभिव्यक्ति	
	मूल बजट अंश	वास्तविक अंकड़े	मूल बजट अंश	वास्तविक अंकड़े	मूल बजट अंश	वास्तविक अंकड़े
क- राज्य सेवा						
पट्टों का अधिभार	2,00,000	1,06,560-	-	-	-	-
भवनों का पूर्ण विक्रय	-	-	-	-	1,87,60,000 (अ)	16,01,100-
भवनों का हायर मरयेज पर विक्रय	1,50,000	50,424-	-	-	25,70,000 (अ)	4,74,076-
भवनों/दुकानों का किराया	16,00,000	5,08,107-	-	-	20,84,000 (वि)	1,21,000-
दुकानों का प्रीमियम	-	-	-	-	70,000 (अ)	-
भूमि की विक्री से आय	-	-	-	-	1,00,000 (अ)	6,000-
अधिकार प्रत्यक्षा अनुदान	4,50,000-	-	-	-	45,00,000 (वि)	-
विलियोजनों पर व्यय	2,00,000-	2,01,278	-	-	90,00,000 (अ)	2,22,564-
अभिव्यक्ति अंग से प्राप्तियाँ	5,50,000-	-	-	-	92,90,000 (वि)	2,54,931-
अन्य/प्रकीर्ण आय	3,42,500-	69,828	-	-	50,000 (अ)	24,415-
भय विम फीस से आय	-	-	1,60,000	1,19,815	5,00,000	6,57,753-
कम्पोमार्शुम फीस	-	-	2,50,000	74,072	* 2,00,000 (अ)	1,72,320-
अन्य फीस	-	-	10,000	5,639	* 90,000 (वि)	43,600-
	34,92,500-	9,35,997-	4,20,000-	1,99,526-		
					4,72,14,000-	34,27,789

(क) राजस्व लेखा

अधिष्ठात	9,40,000	4,18,426-	584,000-	198,737-	13,45,000-	3,71,909(वि०)
दृष्टों का प्रतिदाय	18-50,700-	1,72,300-	-	-	51,05,000(वि०)	1,42,013
जिसेप सिधे	-	-	-	-	50,00,000(अ०)	11,93,500
वापसियाँ	1,00,000/	-	-	-	9,08,244(वि०)	15,29,025
प्रतिकर	-	-	-	-	1,50,000-(वि०)	4,54,122
मशीनरी पथंत्र	-	-	-	-	40,00,000(अ०)	65,737-
उपकरण भंडार	-	-	-	-	1,00,000(वि०)	9,04,975-
विभाजित धर्म	-	-	-	-	1,50,000(वि०)	-
अव्यय / प्रकीर्ण	11,40,000	1,71,129-	1,25,000	174-	3,00,000(अ०)	79,296-
योग	40,30,700-	7,61,855	7,09,000	1,98,911-	4,79,000(वि०)	3,320-
					11,75,000(अ०)	74,150-
						2,44,22,244
						51,88,731-

(ख) पूंजी लेखा

प्रतिकर	-	-	-	-	1,52,50,000	18,78,611-
उपकरण/मशीनरी/भण्डार वस्तुएं	-	-	-	-	11,50,000-	5,600-
भूमि विकास	-	-	-	-	1,67,10,563-(वि०)	41,371-
भवनों का निर्माण	-	-	-	-	1,27,75,000-(अ०)	11,99,639-
					3,76,67,712-	12,72,845-

सामंशियत कार्यक्रम

पुराना डा. भवन	-	-	-	-	64,62,266-	47,54,636-
नक्कास	-	-	-	-	4,21,409	1,55,435-
आर०टी०ओ	-	-	-	-	31,00,000-	
छिन्वापुर	-	-	-	-	12,00,000-	
रेलवे रोड डम्प	-	-	-	-	31,00,000-	
क्यान्स निर्माण	-	-	-	-	1,00,000-	
असोज	-	-	-	-	15,00,000-	20,829-
मिनिम बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	-	-	-	-	29,00,353-	3,10,173-
योग =	-	-	-	-	10,23,37,303-	96,39,219-
ग- उद्योग सेवा	2,60,000-	-	-	-	2,26,87,406-	88,31,478-
योग क, ख, ग, 42,90,700-	7,61,855-	7,09,000-	1,98,911-	14,94,46,953	236,59,458-	
वित्तीय अवशेष					महायोग = 15,44,46,653	246,20,224-
					अन्तिम अवशेष = 93,153	29,08,6219- *
योग =					15,45,39,806	53,70,6,443-

* इस कैश बुक अवशेष के अतिरिक्त रु 285 लाख की विनियोजित धनराशि थी ।

Handwritten signature and date:
30 Oct 2010
S. B. V.

तखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्यारथ आख्या

तखनऊ विकास प्राधिकरण ने सेक्टर बैंक आरु इंडिया से ओल्ड पोस्ट आफिस कम्प्लेक्स हेतु पचास लाख रुपये का 15% ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत कराया था इस धराराशि में से वासीस लाख रुपये प्राप्त हो गये थे परन्तु शासन से गारन्टी प्राप्त होने में देरी के कारण शेष धराराशि प्राप्त नहीं हो सकी है तथा वासीस लाख रुपये की धराराशि पर 15% ब्याज दिया जा रहा है तथा ओल्ड पोस्ट आफिस कम्प्लेक्स पर व्यव आधारित ऋण पूंजी से वहव किया जा रहा है । विभिन्न योजना आवास योजनाओं हेतु जिनमें कानपुर रोड, शौचपुर कचैता तथा अन्य योजनाएँ सम्मलित हैं, के लिए दिसम्बर 1976 में 9.5% ऋण मॉग पत्र जारी करके रु 206 लाख प्राप्त किये गये थे । इस ऋण मॉग पत्र की अवशेष धराराशि अब रु 170 लाख है । व्यवसायिक केन्द्र ओल्ड पोस्ट आफिस पर आधारित ऋण पूंजी से व्यव आमावसीय है अतः जो धराराशि 72 लाख रु व्यय की गई है उसे ऋण मॉग पत्र से परिपूर्ति हेतु मामला प्राधिकरण को अलग से प्रस्तुत किया ^{जा रहा} है यदि प्राधिकरण स्वीकृति प्रदान कर देती है तो परिपूर्ति के उपरान्त डिसेम्बर धराराशि रु 98 लाख रहेगी ।

प्राधिकरण को विचार करना है कि सेक्टर बैंक के ऋण की ब्याज सहित डिसेम्बर की अवशेष धराराशि से वापिस कर दिया जाय ताकि तम्ही अवधि तक 15% ब्याज से बचा जा सके । यदि यह ऋण डिसेम्बर धन से वापिस किया जाता है तो डिसेम्बर अवशेष लगभग रु 58 लाख रहेगा तथा समस्त व्यय विभिन्न योजनाओं में इस अवशेष से तथा आधारित ऋण पूंजी से करा होने और व्यवसायिक केन्द्रों आर०टी०ओ०, रेलवे पैडम्य, नवआस तथा छितवार आदि की योजनाए धन उपलब्धि पर अपने श्रोतों की आय से कार्यान्वित करना होगीक्योंकि सीडकैपिटल धन इस पर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा ।

प्राधिकरण कृपया उक्त मामले में विचार करके निर्णय लेने का कष्ट करें यथावत पुरोहित बजट में संशोधन कर दिए जायें ।

(Handwritten signature)
 30/12/76

(Handwritten signature)

रु 30 उपारयय

तदनुसार विकास प्राधिकरण में विधि अनुभाग एवं विद्युत अनुभाग की स्थापना की जा चुकी है प्रथम अनुभाग हेतु विधि अधिकारी का पद सृजित किया जा चुका है परन्तु अभी नियुक्ति न करके कार्य उप जगर अधिकारी से लिया जा रहा है इसी प्रकार विद्युत/एक सहायक जगर अधिकारी के अर्थात् स्थान खोला गया है परन्तु दोनों ही विभागों में स्टाफ नहीं है और अन्य विभागों से एक दो कर्मचारी इसके साथ लगा दिये गये हैं परन्तु इनसे कार्य चलवा संभव नहीं है । अतः न्यूनतम आधार पर कार्य संवाहक हेतु स्टाफ की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है जो संलग्न है । निम्नानुसार स्टाफ की आवश्यकता निम्नलिखित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा रही है ।

एक पद	वेतनमान	विधि विभाग	विद्युत विभाग	योग	
प्रधान लिपिक	280-460	1	1	2	
प्रथम श्रेणी लिपिक	230-350	2	5	7	
द्वितीय श्रेणी लिपिक	200-320	6	6	12	
अनु० लेखाकार	280-460	-	1	1	
इन्स्पेक्टर	230-350	-	1	2	
स्टेनो क्लर्क टाईपिस्ट	200-320	-	1	1	
चपरासी	165-215	3	4	7	
		योग=	12	19	31

उपरोक्त स्टाफ की शायद में प्रवर्तित वेतन एवं अनुसूचित भत्तों पर उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जायेगा तथा वार्षिक व्यय भार रू 1,30,920/- होना चाहें वष में केवल 2 माह हेतु रू 21,820/- का व्यय होना ।

प्राधिकरण से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त स्टाफ स्वीकृति करके की कृपा करें ।

सचिव,

लघानऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आड्या

विभाग : सचिव कार्यालय ।

विषय: सरोजनी नगर क्षेत्र में कानपुर रोड पर 100 शैया वाले ई0एस0आई0 अस्पताल के निर्माण के लिये तथा लघानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन आलमबाग ब्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिये सड़क के मध्य से 125 फुट की दूरी के अन्तर्गत निर्माण किये जाने की छूट देने के सम्बन्ध में ।

सारांश : दिनांक 24-11-77 को एक बैठक विभागाध्यक्ष चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में हुई जिसमें आयुक्त एवं सचिव आवास एवं नगर विकास भी उपस्थित थे । उत्तर प्रदेश रीजन इम्प्लाइज स्टेट इन्स्योरेन्स कार्पोरेशन द्वारा कानपुर रोड पर एक अस्पताल बनाने की योजना है । जिसका भवनचित्र लघानऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत किया जाना है । परन्तु नियमानुसार अस्पताल की बाउण्डरी सड़क के मध्य से 125 फुट दूर होनी चाहिये । जिसके लिये उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें सड़क के मध्य से 125 फुट के अन्दर भी एक अस्थाई रूप से दीवाल उठाने की अनुमति दे दी जाय जो सड़क के मध्य से लगभग 60-70 फुट दूरी पर होगी, इस प्रकार जो दूरी सड़क के मध्य से 125 फुट पर होनी चाहिये अब उसके बजाय 80 या 100 फुट लगभग रह जायगी ।

इसी प्रकार से लघानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड पर आलमबाग क्षेत्र में एक ब्यवसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण किया जाना है । जिसमें भी सड़क के मध्य से 125 फुट दूरी के अन्तर्गत निर्माण प्रस्तावित है । चूँकि यह ब्यवसायिक केन्द्र कानपुर रोड पर ही स्थित है अतएव उपरोक्त की भाँति ही विकास प्राधिकरण को भी यह छूट प्राप्त होनी चाहिये ताकि वह भी अवशेष भूमि को निर्माण के लिये प्रयोग कर सके ।

विभागीय अधिकारी की अनुमति :

ई0एस0आई0 द्वारा प्रस्तावित अस्पताल का निर्माण सार्वजनिक हित के लिये है और इससे भूमि का सदुपयोग ही होगा अतएव इसे 125 फुट दूरी के प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाना उचित ही होगा तथा इसी भाँति लघानऊ विकास प्राधिकरण को भी उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाना वांछनीय है ।

ह0/- बाबू राम
सचिव

उपाध्यक्ष के आदेश :

उपरोक्त आड्या विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाय ।

ह0/- एन0 बी0 लाल
उपाध्यक्ष
28-11-77

विभाग:- सचिव कार्यालय ।

विषय:- अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रजार योजना के अन्तर्गत निर्मित व्यावसायिक केन्द्र में एक दुकान का आवण्टन करने के लिये प्रीमियम से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

सारांश : दीपा क्ली कर्करि निवासी ईस्ट बंगाल रिफ्यूजी कालोनी डान्ना मिल डालीगंज, लखनऊ ने प्रार्थना की है कि प्रार्थिनी एक असमर्थ युवा लड़की है जो बचपन से ही अनाथ है जिसका एक फेफड़ा उसके आठ वर्ष की आयु में ही निकाल दिया गया था जिसके कारण वह अपंग व असमर्थ हो गई है एवं जीवन-यापन में कठिनाई का अनुभव कर रही है । अतएव जीवन-यापन के लिये उपरोक्त व्यावसायिक केन्द्र में एक दुकान का आवण्टन चाहती है । जिसमें दुकान बलाकर वह अपना जीवन यापन करेगी ।

अलीगंज व्यावसायिक केन्द्र में दुकानों का प्रीमियम रु० 6,000/- है तथा कोने की दुकान का प्रीमियम रु० 8,000/- है । प्रार्थिनी जो दुकान चाहती है वह एक कोने की दुकान है और प्रार्थिनी उसे बिना किसी प्रीमियम के आवण्टन करने की प्रार्थना की है ।

ह०/- बाबू राम
सचिव

उपाध्यक्ष के आदेश :-

विकास प्राधिकरण के अग्र विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह०/- एन०बी० लाल
उपाध्यक्ष
28-11-77

विभाग प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विभाग- अधिनियम विभाग

विषय:- लखनऊ शहर के प्रमुख भागों पर स्थित भवनों के अग्रभागों की रीगाई एवं परम्पत विषय आख्या ।

उपरोक्त विषय पर विभाग प्राधिकरण की बैठक दिनांक १०-१०-७७ में प्रस्ताव संख्या १६ द्वारा निम्नलिखित निर्णय हुआ था ।

१६- लखनऊ नगर के प्रमुख भागों पर स्थित भवनों की परम्पत तथा रीगाई के आगे के संबंधित ठेकेदारों के वहाया भुगतान के संबंध में ।

१६-१ हाई पावर्टी कमीटी द्वारा यह निर्णय ही हुआ है कि इस कार्य को आगे स्थगित रखा जाय । प्राधिकरण अवगत हुआ कि १२-७६ लाख रुपये सिमाई के विरुद्ध अब तक ५-५ लाख रुपये ही प्राप्त हुए हैं । प्राधिकरण द्वारा कराई गई कार्य का अनुमानित व्यय रू० ८-५ लाख है । प्राधिकरण यह सुझाव देता है कि कार्य करने वाले ठेकेदारों को वहाया धनराशि के भुगतान की आवश्यकता है ।

१६-२ प्राधिकरण की आधीनस्थित को देखते हुए यह भुगतान राशि साथ नहीं लिया जा सकता है । अतएव भुगतान स्टैगर्ड (Staggered) रूप में लिया जाय ।

१६-३ भुगतान के लिए आग्रहों लिखा जाय कि वे कृपया स्पष्ट करें कि प्राधिकरण यह भुगतान अपनी किस विधिसे निशुल्क नियम कुमार दूसरे विधि में स्थानांतरित करे किस प्रकार संभव है ?

१६-४ अधिसूचियों से धनराशि की प्राप्तिपूर्वक विभाग प्राधिकरण को आग्रहों की बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

इसी बीच विभाग के ठेकेदारों के आने वाले भुगतान के संबंध में काफी जोर दिया गया कि इस मद में धन नहीं के कारण उन्हें देयता का भुगतान नहीं लिया जा सकता । अतः अधिकाधिक धन में विभाग प्राधिकरण की स्वीकृति मिल जाने की प्रत्याशा में स्वीकृति केर देयता के आधिक भुगतान हेतु १-६८ लाख रुपये प्राधिकरण के जनरल फंड में ट्रांसफर कर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया ।

लालबाग क्षेत्र के अधिसूचियों से रीगाई एवं परम्पत की धनराशि रू० ११५८४।- भू राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु जिम्मेदारों को लखनऊ से अनुरोध किया जा चुका है ।

अन्य क्षेत्र के अधिसूचियों से प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचियां तैयार की जा रही हैं एवं जीव की जिम्मेदारों को लखनऊ में भेज दी जावेगी ।

-2-

अतः विभाग प्राधिकरण १-६८ काब की वनराशि कुशल फंड में बाहरण करने की औपचारिक रकी प्रति प्रदान करने हेतु विभाग प्रस्तुत है ।

हो एम एम श्रीवास्तव
नगर अधिकारी (विभाग)

उपाध्यक्ष / सचिव

उपर्युक्त विभाग लक्षनऊ विभाग प्राधिकरण के सहायक प्रमुख करने की रकी प्रति प्रदान करने की प्रार्थना है ।

हो एस०एम०पी० गुवाल
मुख्य अधिकारी
२४-११-७७

सी०एम० प्रो०

प्रधान अधिकारी (सामिक)

2/Am

विकास प्राधिकरण की मीटिंग दिनांक 30-11-77
के लिये टिप्पणी

विषय :- प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के पद को भरे जाने का प्रस्ताव ।

गोपनीय अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 418/11-1-7/ईजी/74 दिनांक जून 28, 1975 द्वारा शासन का यह निर्णय महापालिका को सूचित किया गया कि लखनऊ नगर महापालिका के मुख्य अभियन्ता के पद को विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित कर दिया जाय तथा मुख्य अभियन्ता के वेतनक्रम रु० 1350-1750 की स्वीकृति प्राधिकरण से ले ला जाय ॥प्रतिलिपि- पृष्ठ 47 पर संलग्न॥ । तदुपरान्त विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-1975 में मुख्य अभियन्ता के पद 1350-1750 के वेतनमान में सृजित करने की स्वीकृति प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा दी गई । यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 2,000/- तक हो, को स्वीकृत एवं सृजित करने का अधिकार सामान्यतया प्राधिकरण के पास रहे क्योंकि शासन के स्पष्ट आदेश है कि रु० 2,000/- से ऊपर के अधिकतम वेतन के पदों की स्वीकृति एवं सृजित करने का अधिकार शासन ने अपने पास सुरक्षित रखा है ॥प्राधिकरण के प्रस्ताव की प्रतिलिपि पताका "छ" पर है ॥ ।

तदुपरान्त इस पद पर स्वर्गीय श्री एस० पी० गुप्त की नियुक्ति का औपचारिक निर्णय विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8-7-1977 को लिया गया ॥संलग्नक "ग"॥ । किन्तु इस काल में मुख्य अभियन्ता के पद का वेतन आदि प्राधिकरण की निधि से किया जाता रहा । औपचारिक नियुक्ति में देरी के कारण, जैसा कि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत मद संख्या 28 दिनांक 8-7-77 से प्रकट होता है ॥ संलग्नक "घ"॥ यह था कि प्राधिकरण के सचिव, मुख्य लेखाधिकारी के पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी और महापालिका के उप प्रशासक व लेखाधिकारी को ही कार्य देजाने को दिये गये थे । श्री एस० पी० गुप्त ने 20-9-1977 तक प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्य किया किन्तु 20-9-77 को उनका आकस्मिक निधन हो गया । फलस्वरूप श्री एस० एन० पी० अग्रवाल मुख्य-अभियन्ता, नगर महापालिका को अपने पद के साथ-साथ इस पद का कार्यभार भी दे दिया गया ।

वातु वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण में रु० 9,57,00,000/- निर्माण कार्य का प्रस्ताव है, जिसके लिये रु० 6,67,50,000/- का ऋण राजस्व तथा डिपेन्चर आदि की धनराशि उपलब्ध है । अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व एवं पूंजी लेडो आदि की आय से पूरी किये जाने का प्रस्ताव है । उक्त धनराशि से निम्नांकित कार्य कराना प्रस्तावित है :-

1- आर्थिक दुर्बल वर्ग के भवन	-	348	6.46	लाडा
2- निम्न आय वर्ग के भवन	-	248	30.00	"
3- मध्यम आय वर्ग के दो-मंजिले भवन {दुप्लेक्स टाइप}	-	100	33.91	"
4- उच्च आय वर्ग {चार कमरे को} भवन	-	114	51.00	"
5- राज्य सरकार के लिये दो-मंजिले भवन ।	-	100	41.80	"

हडको:

1- प्रथम चरण	-	-	5.00	"
2- द्वितीय चरण	-	-	11.57	"
3- तृतीय चरण	-	-	22.80	"
4- चतुर्थ चरण {एल०आई०जी०}	-	480	56.39	"
5- पंचम चरण {एल०आई०जी०}	-	172	48.56	"

ब्यवसायिक प्रतिष्ठान :

1. पुराना डाकखाना हजरतगंज	-	-	39.62	"
2. नकलान	-	-	4.214	"
3. आर०टी०ओ०, लाटूश रोड	-	-	21.00	"
4. छितवापुर	-	-	12.00	"
5. रेलवे सिग्नल डम्प	-	-	12.00	"
6. अलीगंज ब्यवसायिक प्रतिष्ठान	-	-	15.00	"
मलिन बस्ती	-	-	29.00	"
अलीगंज में विकास आदि	-	-	219.00	"

उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्व लेडो में रु० 23.50 लाडा का निर्माण तथा विकास का प्राविधान है ।

नगर महापालिका में सड़को, भवनों और अन्य कार्यों के निर्माण व रखरखाव आदि पर 50 लाडा खर्चे के कार्य होने हैं । अतएव एक मुख्य अभियन्ता को दोनों कार्यों को सुचारु रूप से देजाना सम्भव नहीं है । विशेषतौर पर प्राधिकरण में तो इतना अधिक कार्य होना है और यदि वह

समय से न हो पाया तो अवशेष धन पर भारी मात्रा में ब्याज देना होगा । इतने बड़े प्रस्तावित कार्यों को देखाने के लिये राज्य सरकार से उपाध्यक्ष ने निरन्तर अनुरोध किया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पद के किसी अधिकारी को प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर ले लिया जाय, किन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं हो सका है ।

जैसा ऊपर कहा गया है प्राधिकरण की योजनाओं को सुचारु रूप और सुदृढ़ रूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि एक अनुभवी, सुयोग्य और दक्ष व्यक्ति की तत्काल नियुक्ति प्राधिकरण में की जाये । फिलहाल इस पद के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता पद के समकक्ष अधिकारी को रखाना उचित प्रतीत होता है । प्राधिकरण जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है रु० 2,000/- तक के अधिकतम वेतनमान के पदों को सृजित व स्वीकृत करने के लिये सक्षम है । ऐसी दशा में प्राधिकरण इस पद को स्वयं भर सकता है । क्योंकि अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान रु० 1400-1800 है । अतएव प्रस्तावित है कि :-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व सृजित मुख्य अभियन्ता के पद, जो कि रु० 1350-1750 के वेतनमान का है, का वेतनरुम रु० 1400-1800 कर दिया जाये ।
2. इस पद को भरने हेतु निम्नांकित चयन समिति गठित कर दी जाये :-
 - 1- उपाध्यक्ष,
 - 2- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ।
 - 3- सचिव, विकास प्राधिकरण ।
- 3- पद के लिये अर्हतायें व योग्यतायें वही रखी जायें जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं के लिये अनुमन्य हैं ।
4. पद पर नियुक्ति हेतु नगर सहायक/विकास प्राधिकरण के सभी सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता भी पात्र होंगे बशर्ते कि सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता अपने अपने पदों पर कम से कम 7 व 5 वर्षों का क्रमशः अनुभव हो तथा वे मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक भी हों । इन अधिकारियों के अतिरिक्त पद पर चयन हेतु विज्ञापन द्वारा भी सुयोग्य व्यक्तियों की सेवाये प्राप्त करने का प्रयास किया जाये और यदि आवश्यक हो तो तीन वर्ष तक की अवधि के लिये कन्ट्रैक्ट एपॉइन्टमेन्ट करने की स्वीकृति भी दी जाये ।

रु०/- एन०बी० लाल
 एन० बी० लाल
 उपाध्यक्ष
 28-11-1977

श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव, उप सचिव, नगर पालिका अनुभाग -4,
उत्तर प्रदेश शासन के गोपनीय अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 418/11-1-7/
इंजी/74 दिनांक 28 जून 1975 की प्रतिलिपि ।

- 0 - 0 - 0 -

" कृपया लखनऊ नगर महापालिका के मुख्य अभियन्ता के पद
को बनाये रखे जाने से सम्बन्धित अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 317/सी/
प्रशासक दिनांक 25 जनवरी, 1975 का अवलोकन करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कबने की ओक्षा की गई है कि शासन ने
यह निर्णय लिया है कि लखनऊ नगर महापालिका के मुख्य अभियन्ता
के पद को विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित कर दिया जाय तथा
मुख्य अभियन्ता के वेतन-क्रम 1350-1750 की स्वीकृति प्राधिकरण से
ले ली जाय ।"

- 0 - 0 - 0 -

पताका "ख"

दिनांक 25-7-75 को अपरान्ह 3-00 बजे प्राधिकरण कार्यालय स्थित नवीन कमेटी हाल में हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या 4 का उद्घरण

- 0 - 0 -

प्राधिकरण के आवश्यक पदों के सृजन, वर्तमान पदों के समायोजन एवं कतिपय पदनामों के प्रस्तावित वेतनक्रम सहित तत्सम्बन्धी व्यय पर विचार किया गया। उपाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तावित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज द्वारा आर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिप्लोमिंग मैकिंग सिस्टम और परफारमेंस बजट पर एक विस्तृत अध्ययन कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई और तीन कन्सल्टेंट-मन्थ्स की फीस जो रु 30,000/- से अधिक न हो, तक देने के लिये उन्हे अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक उक्त अध्ययन रिपोर्ट की आख्या प्राप्त नहीं हो जाती तब तक प्राधिकरण के पदों का अन्तिम रूप देना उचित न होगा। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान 376 पदों में से 82 पद, जिनमें 9 प्रथम श्रेणी, 24 द्वितीय श्रेणी तथा 49 क्वथ श्रेणी के हैं, प्राधिकरण से त्याग करके उनका सविलियन महापालिका में कर लिया जाय तथा इन 82 पदों को फिलहाल न भरा जाय। प्राधिकरण की तात्कालिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये यह प्रस्ताव प्राधिकरण के सामने रखा गया कि मुख्य अभियन्ता, कास्ट एकाउण्टेण्ट, प्लानर, आर्किटेक्ट, जिधि अधिकारी तथा जन सम्पर्क अधिकारी के नये पद स्वीकृत कर दिये जायें। काफी विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि तात्कालिक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निम्नलिखित पद, उनके सामने लिखित वेतनक्रम में, सृजित कर दिये जायें :-

क्रम सं०	पदनाम	पद संख्या	वेतन क्रम
1-	मुख्य अभियन्ता	एक	1350-1700
2-	आर्किटेक्ट-वन-प्लानर	एक	1350-1700
3-	कास्ट एकाउण्टेण्ट	एक	800-1450
4-	सहायक अभियन्ता	चार	500-1150
5-	वैयक्तिक सहायक	एक	425-900
6-	स्टेनोज	दो	240-424
7-	ड्राइवर	पाँच	172-226

6- प्राधिकरण ने पदों की स्वीकृति एवं सृजित किये जाने तथा उन पर नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु 2000/- तक हो, को स्वीकृत एवं सृजित करने का अधिकार सामान्यतया प्राधिकरण के पास रहे, क्योंकि शासन के स्पष्ट आदेश है कि रु 2000/- से ऊपर के अधिकतम वेतन के पदों की स्वीकृति एवं सृजन करने का अधिकार शासन ने अपने पास सुरक्षित रखा है। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से उपाध्यक्ष ऐसे पदों का सृजन कर सकते हैं जिनकी नियुक्ति का अधिकार उन्हे हो परन्तु ऐसी नियुक्तियों को वे प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

7- जहाँ तक विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करने का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष, सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के अधिकार अधिनियम द्वारा शासन को है। अन्य पदों पर नियुक्ति के अधिकार के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता, आर्कीटेक्ट-कम-प्लानर, कास्ट एकाउण्टेण्ट और रु० 1200- तथा रु० 2000/- के बीच के अधिकतम वेतनमानों के पदों पर नियुक्तियाँ प्राधिकरण द्वारा की जाएंगी। ऐसी नियुक्तियों के लिये प्राधिकरण ने एक कथन समिति का गठन किया जिसमें उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के दो अन्य सदस्य होंगे। रु० 1200/- के अधिकतम वेतन के नीचे के समस्त पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार उपाध्यक्ष को प्रतिनिहित किया गया।

- 0 - 0 -

पताका "ग"

लखनऊ विकास प्राधिकरण के बैठक दिनांक 8 जुलाई, 1977 की कार्यवाही की मद संख्या-28 की प्रतिलिपि

मद सं० 28-1: "मुख्य अभियन्ता विकास प्राधिकरण के पद पर श्री एस०पी०गुप्ता की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। श्री गुप्ता अपने महापालिका के कर्तव्यों के साथ-साथ जब तक इस पद पर प्राधिकरण में नियुक्ति नहीं होती, मुख्य अभियन्ता का कार्य देखेंगे। जिसके लिये कोई अतिरिक्त वेतन अनुमन्य न होगा।"

- 0 - 0 - 0 -

पताका "घ"

लखनऊ विकास प्राधिकरण के बैठक दिनांक 8-7-77 के कार्य-सूची
के मद संख्या 28 की प्रतिलिपि

विभाग - सचिव कार्यालय ।

विषय - मुख्य अभियन्ता विकास प्राधिकरण के पद पर श्री एस० पी० गुप्ता की प्राधिकरण द्वारा औपचारिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

सारांश - लखनऊ नगर महापालिका में मुख्य अभियन्ता के पद पर श्री एस० पी० गुप्ता दिनांक 6-7-73 से कार्यरत थे 2 विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात् प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के नियुक्ति की आवश्यकता महसूस की गई । दिनांक 4-2-1975 को हुई प्राधिकरण की मद सं० 5 में यह निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता द्वारा विकास प्राधिकरण का काम भी देखा जा रहा है । अतः केवल वेतन का आधा व्यय महापालिका तथा आधा प्राधिकरण गठन की तिथि से व्यय करें । दिनांक 28-6-75 को शासन के गोपनीय अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 41प/11-1-7/इंजी/74 दिनांक 28 जून, 1975 के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि मुख्य अभियन्ता का पद महापालिका/विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित कर दिया जाय और वर्तमान की स्वीकृति ~~इस~~ विकास प्राधिकरण से ले लिया जाय । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-75 की मद संख्या 4 द्वारा मुख्य अभियन्ता के पद का सृजन कर लिया जाय । इसके पश्चात् श्री एस० पी० गुप्ता, जो विकास प्राधिकरण तथा महापालिका दोनों जगह काम देखा रहे हैं, यह आदेश दिनांक 21-8-75 को प्राप्त किया कि उन्हें विकास प्राधिकरण के नव सृजित पद पर मानते हुये नये वेतनक्रम में निर्धारण किया जाय और वेतन का भुगतान प्राधिकरण निधि से किया जाय। ~~अतः~~ ~~केवल~~ उपाध्यक्ष ने नये वेतनमान में वेतन लेने की अनुमति दिनांक 21-8-75 को प्रदान करने के साथ ही साथ यह भी आदेश किया कि वे अग्रिम आदेशों तक दोनों जगह का कार्य देखेंगे तथा वित्तीय भार प्राधिकरण और महापालिका पर आधा-आधा वहन किया जायगा । उसी दशा में वर्तमान स्थिति यह है कि श्री एस० पी० गुप्ता प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार प्राधिकरण में काम तो देखा रहे हैं परन्तु उनकी नियुक्ति औपचारिक रूप से विकास प्राधिकरण के द्वारा अभी तक नहीं हुई है । अतः इस सम्बन्ध में विचार करके निर्देश पारित किया जाना चाहिये ।

ह०/-आर०एन० त्रिवेदी
सचिव

उपाध्यक्ष की प्रस्तुति:

वर्तमान व्यवस्था अस्थायी है क्योंकि इन दोनों संस्थाओं को पूर्णकालिक मुख्य अभियन्ता की आवश्यकता है । अतः विकास प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय ।

ह०/- एन०बी० लाल
उपाध्यक्ष ।

- 4.1: प्राधिकरण: अवगत हुआ कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की मासिक कटौती को यूनाइटेड कामर्सियल बैंक लखनऊ में पृथक-पृथक भेविंग बैंक खोलते दिनांक 1.9.77 से लागू दिये गये हैं और उनकी पासबुके बना दी गयी हैं ।
- 4.2क) निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था तुरन्त की जाय जिससे प्रत्येक कर्मचारी को अपने भविष्य निधि के लेखों का विवरण प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अवश्य प्राप्त हो जाये ।
- 4.2ख) विगत वर्षों में भविष्य निधि के लेखों का जो विवरण कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है उसे भी पूर्ण तथा रिक्लैम्ड कराकर प्रत्येक कर्मचारी को 31 मार्च 1978 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ।
- 4.2ग) अप्रैल 1978 तथा अगस्त 1978 की बैठक में उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराया जाय ।

विषय

संख्या:5

2- वे रोड अशोक मार्ग पर 51 एकड़ क्षेत्र के शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन ।

- 5.1 प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश शासन आवास अनुभाग-3 के आदेश संख्या: 2993/37-3-97-एन0के0वि0/75 दिनांक अगस्त 27, 1977 द्वारा प्रसारित अधिसूचना के आधार पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्लान को अनुमोदित किया गया और उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर लिये गये ।

- 5.2 उपरोक्त अनुमोदित विस्तृत प्लान के लागू होने के सम्बन्ध में धारा-12 के अनुसार अधिसूचना समाचारपत्रों में और जिलाधिकारी प्राधिकरण तथा नगर महापालिका के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दी जाय । जिससे सर्व साधारण को ज्ञात हो सके कि यह परिवर्तन लागू हो गया है ।

विषय

संख्या-6

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 की मद संख्या 6 द्वारा निर्णित विषय " आवन्टित भूखण्ड के लीज़ होल्ड अधिकार हस्तान्तरण करने के 40 प्रतिशत तथा नीलाम द्वारा दिये गये, भूखण्डों के लीज़होल्ड अधिकार 15 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लेकर हस्तान्तरित करने की अनुमति दी जाये" का स्पष्टीकरण ।

- 6.1 प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव द्वारा सूचित किया गया कि तत्कालीन इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट /नगर महापालिका की विभिन्न योजनाओं पर जो पट्टा विलेखा सम्पादित होते रहे हैं उनमें से कुछ में यह प्राविधान रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पट्टागत अधिकार का हस्तान्तरण करेगा तो उसे पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी और समय-समय पर इन पट्टों के हस्तान्तरण हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है । अन्य कुछ पट्टों में यह प्राविधान नहीं है । प्राधिकरण की मीटिंग दिनांक 19-2-77 के मद संख्या-6 में निर्णय लिया गया कि जो भूखण्ड जिना नीलाम के आवन्टित हुए हैं उनका 40 प्रतिशत

तथा नीलाभ किये गये आवन्तित भूखण्डों के हस्तान्तरण शुल्क की दर 15 प्रतिशत रक्खी गई है। तत्सम्बन्धी प्राधिकरण के प्रस्ताव की भाषा में यह स्पष्ट नहीं होता है कि हस्तान्तरण शुल्क केवल उन्ही भूखण्डों के लिये देय होगा जिनका पट्टा-विलेख में हस्तान्तरण के पूर्व अनुमति लेने का प्राविधान है और अन्य भूखण्ड जिनके अभिलेखों में यह प्राविधान नहीं है यह शुल्क देय नहीं होगा। विधिक राय भी अतिरिक्त तयिच द्वारा प्राधिकरण के समक्ष बढ़ी गई।

- 6.2 प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि विधिक राय देखाते हुए उन भूखण्डों के लिये हस्तान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा जिनके पट्टे अभिलेख में हस्तान्तरण करने से पूर्व अनुमति लेने का प्राविधान नहीं है।
- 6.3 प्राधिकरण ने यह निदेशित किया कि उक्त पूर्व निर्णय संख्या-6.2 के अनुसार हस्तान्तरण शुल्क पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जब उनके नवीनीकरण का समय आये, तो तत्कालीन प्रचलित दरों के अनुसार लिया जाना चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् जो पट्टे इस प्रकार के किये गये हैं, जिनमें पूर्व अनुमति लेने तथा हस्तान्तरण शुल्क लेने का प्राविधान नहीं है विवरण एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाये ताकि नीति निर्धारित की जा सके, ऐसे मामलों के नवीनीकरण के समय हस्तान्तरण शुल्क किस प्रकार लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में गाजियाबाद तथा अन्य विकास प्राधिकरणों में जो नीति अमनाई जा रही हो उसको भी तुलना हेतु प्राधिकरण के समक्ष रक्खा जाये।

विषय
संख्या: 7

अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में गृह निर्माण समितियों को अधिगृहीत भूमि के बदले भूमि आवन्तन करने का प्रस्ताव।

7.1

अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना महापालिका अधिनियम की धारा 357 के अन्तर्गत दिनांक 17-3-62 को प्रकाशित की गई थी तथा उसके आद धारा 358 के अन्तर्गत भू-स्वामियों को दो माह में आपत्ति दाखिल करने का निदेश दिया गया था परन्तु टिप्पणी में वर्णित 11 गृहधारह गृह समितियों में से किसी ने भी निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। इन समितियों में से कुछ ने योजना विज्ञापित होने के पश्चात् विज्ञापित क्षेत्र में भूमि प्राप्त की और उसके पश्चात् समय समय पर महापालिका से वे अनुरोध करते रहे कि उसके द्वारा क्रय की गई अलीगंज योजना के अन्तर्गत भूमि न ली जाये। महापालिका ने इस सम्बन्ध में समय समय पर निर्णय लिया था जिनका उल्लेख विषय टिप्पणी में किया गया है।

7.2

निम्नलिखित समितियों के बारे में निर्णय लिया गया कि चूँकि इनका प्रादुर्भाव योजना प्रकाशन तिथि 17-3-62 के बहुत बाद हुआ और कई वर्षों से वे किसी प्रकार की भूमि छोड़ने की माँग नहीं कर रहे हैं, अतः उनके मामलों को समाप्त समझा जाये तथा उनको तदनुसार सूचित कर दिया जाये।

- क- प्रवीण भवन निर्माणा कोऑपरेटिव सोसायटी।
- ख- बन्धु सहकारी गृह निर्माणा समिति,
- ग- आजाद सहकारी गृह निर्माणा समिति,
- घ- नन्द विलियम सहकारी गृह निर्माणा समिति
- च- लखानऊ जन कल्याण सहकारी गृह निर्माणा समिति,
- छ- पुरनिया गृह निर्माणा समिति,
- ज- श्री चन्द्र शोखार आजाद सहकारी गृह निर्माणा समिति।

शासनादेश के अनुसार गृह निर्माणा समितियों को योजनावद्ध क्षेत्रों में 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटित करने का आदेश दिया गया है, के अनुसार इन समितियों के द्वारा भी माँग किये जाने पर यदि चाहें तो यथासमय विचार किया जाये। इन समितियों को जो सूचना दी जाये, उसका आलेख विधिक परीक्षा कराने के पश्चात् भोजा जाये।

7.3

सर्वश्री अल्का पुरी, नरेन्द्रदेव, श्रीपुर तथा लखानऊ विश्व विद्यालय सहकारी गृह निर्माणा समितियों के विषय में निर्दिष्ट किया गया कि टिप्पणी में जो विवरण प्रस्तुत हैं यह अधिक विस्तृत तथा तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाये।

7.4

यह भी निश्चय किया गया कि इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट/ नगर महापालिका विकास प्राधिकरण के जो भी संकल्प व निर्णय योजना में अधि-गृहीत भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में पारित हुए हों उनका विस्तार से उल्लेख तथा विश्लेषण करते हुए मामलों में आख्या प्रस्तुत की जाय ताकि प्राधिकरण इस सम्बन्ध में निर्णय ले सके।

विशेष

प्रस्ताव सं०:3

निर्णय लिया गया कि निम्नांकित महत्वपूर्ण विधायों पर विचार विमर्श हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक दिनांक 12-12-77 को बुलाई जाय और उससे पूर्व सदस्यों को इस सम्बन्ध में टिप्पणी दिनांक 6-12-77 तक अवश्य भिजवा दी जाये :-

- 1- लखानऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के समय प्राप्त राजकीय ऋण रु० 1,56,69,475/- की वापसी के सम्बन्ध में।
- 2- अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में गृह निर्माणा समितियों की भूमि को अर्जन से मुक्त करने तथा वैकल्पिक भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।
- 3- प्राधिकरण के पूल बजट 1977-78 की अर्धवार्षिक समीक्षा।

- 4- विभागीय निर्माण हकार्ड के गठन का अनुमोदन ।
- 5- ओल्ड पोस्ट आफिस के प्रांगण में बन रहे व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण की प्रगति तकनीकी तथा वित्तीय उपायों के साथ तथा उक्त केन्द्र की दूकानों, कार्यालयों के स्थान गोदामों व रेस्तराँ के विज्ञ/किराये पर उठाने की प्रस्तावित शर्तें ।
- 6- पत्रकारों की मांग कि अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु दरों में छूट दी जाये ।
- 7- अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

ह0 नरेन्द्र विहारी लाल
§ नरेन्द्र विहारी लाल §
कार्यवाहक अध्यक्ष/आयुक्त एवं
प्रशासक, लखनऊ नगर महापालिका
एवं उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
ह0 देवी चक्रा सिंह
आञ्जुलिपिक सचिव

अनुदान देने का अनुरोध किया जाना है, उसके बारे में तुरन्त कार्यवाही की जाय ।

विषय संख्या:- 2

=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुराने शालकीय ऋणों के रिपोइयूलिंग के सम्बन्ध में राजाज्ञा संख्या 2546/37-1-5 रि0ये0 दिनांक 1.2.9.77 पर विचार ।

2.1 : चूंकि प्रस्तुत दिव्यणी में प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व बकाया ऋण रू0 1,56,69,475/- का विस्तृत विवरण नहीं है कि यह किस राजाज्ञा में स्वीकृत हुआ है, उन पर ब्याज की दरें क्या हैं तथा डिफाल्टी स्थिति में ब्याज की पैन्ल दर क्या है आदि का विवरण नहीं दिया गया है अतः शासन से अनुरोध करने के पूर्व पूर्ण स्थिति जानना आवश्यक है । निर्देश दिया गया है आगामी बैठक में जो दिव्यणी प्रस्तुत की जाये उसमें तालिका प्रारूप में निम्नांकित सूचना और उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाय ताकि यह ज्ञात हो सके कि प्राधिकरण को कितनी में इस बकाये की अदायगी करने से कितना अधिक धान देना पड़ेगा -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजाज्ञा संख्या जिले अनुसार ऋण स्वीकृत किया गया	स्वीकृत ऋण का प्रयोजन	स्वीकृत ऋण पर ब्याज की साधारण पैन्ल दरें	ऋण की वापसी की शर्तें	अब तक वापस की गयी धानराशि मूल ब्याज	वापस होने वाली बकाया धनराशि	वापसी की प्रस्तावित किस्त मूल ब्याज	कैफियतों की वापसी किये जाने से प्राधिकरण पर सम्भावित अतिरिक्त भार	विवरण

विषय संख्या - 3 : विकास प्राधिकरण कर्मचारियों पर वेतन आयोग 1971-73 द्वारा निर्धारित वेतनमान लागू होने के उपरान्त अधिष्ठान और वेतन भत्ते के मद का 22 प्रतिशत अनुदान हेतु अनुवर्ती सहायता बन्द होने पर विचार ।

3.1: निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाय कि अन्य स्वायत्त शाली संस्थाओं को भी 22 प्रतिशत अनुवर्ती सहायता अनुदान के रूप में देने को स्वीकृति प्रदान की जाय ।

विषय संख्या- 4 : प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि का बैंक में सेविंग खाते खोलने तथा अलग-अलग धार बुक देने के सम्बन्ध में ।

- 4.1: प्राधिकरण: अवगत हुआ कि कर्मचारियों को भविष्य निधि की मासिक कटौती को यूनाइटेड कामर्सियल बैंक लखनऊ में बृथक-बृथक मेविंग बैंक खरते दिनांक 1.9.77 सेबाबल दिये गये हैं और उनकी पासबुकें बना दी गयी हैं ।
- 4.2क निदेश दिया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था तुरन्त की जाय जिससे प्रत्येक कर्मचारी को अपने भविष्य निधि के लेखों का विवरण प्रत्येक वर्ष 30 जून तक आसय प्राप्त हो जाये ।
- 4.2ख विगत वर्षों में भविष्य निधि के लेखों का जो विवरण कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है उसे भी पूर्ण तथा रिकन्साइल्ड कराकर प्रत्येक कर्मचारी को 31 मार्च 1978 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ।
- 4.2ग अप्रैल 1978 तथा अगस्त 1978 की बैठक में उपरोक्त निदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराया जाय ।

विषय

संख्या: 5

2- वे रोड अशोक मार्ग पर 51 एकड़ क्षेत्र के शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन ।

- 5.1 प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश शासन आवास अनुभाग-3 के आदेश संख्या: 2993/37-3-97-एन0के0वि0/75 दिनांक अगस्त 27, 1977 द्वारा प्रसारित अधिसूचना के आधार पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्लान को अनुमोदित किया गया और उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर लिये गये ।

- 5.2 उपरोक्त अनुमोदित विस्तृत प्लान के लागू होने के सम्बन्ध में धारा-12 के अनुसार अधिसूचना समाचारपत्रों में और जिलाधिकारी प्राधिकरण तथा नगर महापालिका के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दी जाय । जिससे सर्व साधारण को ज्ञात हो सके कि यह परिवर्तन लागू हो गया है ।

विषय

संख्या-6

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 की मद संख्या 6 द्वारा निर्णित विषय " आवन्टित भूखण्ड के लीज़ होल्ड अधिकार हस्तान्तरण करने के 40 प्रतिशत तथा नीलाम द्वारा दिये गये, भूखण्डों के लीज़होल्ड अधिकार 15 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लेकर हस्तान्तरित करने की अनुमति दी जाये" का स्पष्टीकरण ।

- 6.1 प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव द्वारा सूचित किया गया कि तत्कालीन इम्पूवोन्ट ट्रस्ट /नगर महापालिका की विभिन्न योजनाओं पर जो पट्टा विलेख सम्पादित होते रहे हैं उनमें से कुछ में यह प्राविधान रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पट्टागत अधिकार का हस्तान्तरण करेगा तो उसे पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी और समय-समय पर इन पट्टों के हस्तान्तरण हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है । अन्य कुछ पट्टों में यह प्राविधान नहीं है । प्राधिकरण की मीटिंग दिनांक 19-2-77 के मद संख्या-6 में निर्णय लिया गया कि जो भूखण्ड बिना नीलाम के आवन्टित हुए हैं उनका 40 प्रतिशत

तथा नीलाभ किये गये आपत्तित भूखण्डों के हस्तान्तरण शुल्क की दर 15 प्रतिशत रक्खी गई है। तत्सम्बन्धी प्राधिकरण के प्रस्ताव की भाषा में यह स्पष्ट नहीं होता है कि हस्तान्तरण शुल्क केवल उन्ही भूखण्डों के लिये देय होगा जिनका पट्टा-विलेख में हस्तान्तरण के पूर्व अनुमति लेने का प्राविधान है और अन्य भूखण्ड जिनके अभिलेखों में यह प्राविधान नहीं है यह शुल्क देय नहीं होगा। विधिक राय भी अतिरिक्त तथ्य द्वारा प्राधिकरण के समक्ष पढ़ी गई।

- 6.2 प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि विधिक राय देखाते हुए उन भूखण्डों के लिये हस्तान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा जिनके पट्टे अभिलेख में हस्तान्तरण करने से पूर्व अनुमति लेने का प्राविधान नहीं है।
- 6.3 प्राधिकरण ने यह निर्देशित किया कि उक्त पूर्व निर्णय संख्या-6.2 के अनुसार हस्तान्तरण शुल्क पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जब उनके नवीनीकरण का समय आये, तो तत्कालीन प्रचलित दरों के अनुसार लिया जाना चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् जो पट्टे इस प्रकार के किये गये हैं, जिनमें पूर्व अनुमति लेने तथा हस्तान्तरण शुल्क लेने का प्राविधान नहीं है विवरण एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाये ताकि नीति निर्धारित की जा सके, ऐसे मामलों के नवीनीकरण के समय हस्तान्तरण शुल्क किस प्रकार लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में गाजियाबाद तथा अन्य विकास प्राधिकरणों में जो नीति अपनाई जा रही हो उसको भी तुलना हेतु प्राधिकरण के समक्ष रक्खा जाये।

विषय
संख्या: 7

अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में गृह निर्माण समितियों को अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव।

7.1

अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना महापालिका अधिनियम की धारा 357 के अन्तर्गत दिनांक 17-3-62 को प्रकाशित की गई थी तथा उसके आद धारा 358 के अन्तर्गत भू-स्वामियों को दो माह में आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया गया था परन्तु टिप्पणी में वर्णित 11 गृहधारह गृह समितियों में से किसी ने भी निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। इन समितियों में से कुछ ने योजना विज्ञापित होने के पश्चात् विज्ञापित क्षेत्र में भूमि प्राप्त की और उसके पश्चात् समय समय पर महापालिका से वे अनुरोध करते रहे कि उसके द्वारा कृय की गई अलीगंज योजना के अन्तर्गत भूमि न ली जाये। महापालिका ने इस सम्बन्ध में समय समय पर निर्णय लिया था जिनका उल्लेख विषय टिप्पणी में किया गया है।

7.2 निम्नलिखित समितियों के बारे में निर्णय लिया गया कि चूँकि इनका प्रादुर्भाव योजना प्रकाशन तिथि 17-3-62 के बहुत बाद हुआ और कई वर्षों से वे किसी प्रकार की भूमि छोड़ने की माँग नहीं कर रहे हैं, अतः उनके मामलों को समाप्त समझा जाये तथा उनको तदनुसार सूचित कर दिया जाये।

- क- प्रवीन भवन निर्माण कोआपरेटिव सोसायटी।
- ख- बन्धु सहकारी गृह निर्माण समिति,
- ग- आजाद सहकारी गृह निर्माण समिति,
- घ- नन्द विलियम सहकारी गृह निर्माण समिति
- च- लखानऊ जन कल्याण सहकारी गृह निर्माण समिति,
- छ- पुरनिया गृह निर्माण समिति,
- ज- श्री चन्द्र शोखार आजाद सहकारी गृह निर्माण समिति।

शासनादेशों के अनुसार गृह निर्माण समितियों को योजनाबद्ध क्षेत्रों में 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवन्तित करने का आदेश दिया गया है, के अनुसार इन समितियों के द्वारा भी माँग किये जाने पर यदि चाहें तो यथासमय विचार किया जाये। इन समितियों को जो सूचना दी जाये, उसका आलेख विधिक परीक्षा कराने के पश्चात् भोजा जाये।

7.3 सर्वश्री अल्का पुरी, नरेन्द्रदेव, श्रीपुर तथा लखानऊ विश्व विद्यालय सहकारी गृह निर्माण समितियों के विषय में निदेशित किया गया कि टिप्पणी में जो विवरण प्रस्तुत हैं वह अधिक विस्तृत तथा तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाये।

7.4 यह भी निश्चय किया गया कि इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट/ नगर महापालिका विकास प्राधिकरण के जो भी सौक्य व निर्णय योजना में अधि-गृहीत भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में पारित हुए हों उनका विस्तार से उल्लेख तथा विश्लेषण करते हुए मामलों में आख्या प्रस्तुत की जाय ताकि प्राधिकरण इस सम्बन्ध में निर्णय ले सके।

विशेष प्रस्ताव सं०:3 निर्णय लिया गया कि निम्नांकित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक दिनांक 12-12-77 को बुलाई जाय और उससे पूर्व सदस्यों को इस सम्बन्ध में विषय में टिप्पणी दिनांक 6-12-77 तक अवश्य भिजवा दी जाये :-

- 1- लखानऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के समय प्राप्त राजकीय ऋण रु० 1,56,69,475/- की वापसी के सम्बन्ध में।
- 2- अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में गृह निर्माण समितियों की भूमि को अर्जन से मुक्त करने तथा वैकल्पिक भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।
- 3- प्राधिकरण के सूल बजट 1977-78 की अर्धवार्षिक समीक्षा।

- 4- विभागीय निर्माण इकाई के गठन का अनुमोदन ।
- 5- ओल्ड पोस्ट आफिस के प्रांगण में बन रहे व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण की प्रगति तकनीकी तथा वित्तीय उपायों के साथ तथा उक्त केन्द्र की दुकानों, कार्यालयों के स्थान गोदामों व रेस्तराँ के विज्ञापन/किराये पर उठाने की प्रस्तावित शर्तें ।
- 6- पत्रकारों की मांग कि अलीगंज मार्ग एवं नगर पुरस्कार योजना के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु दरों में छूट दी जाये ।
- 7- अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

ह0 नरेन्द्र विहारी लाल
§ नरेन्द्र विहारी लाल §
कार्यवाहक अध्यक्ष/आयुक्त एवं
प्रशासक, लखनऊ नगर महापालिका
एवं उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
ह0 देवी वक्त्रा सिंह
आशु लिपिक सचिव

अनुदान देने का अनुरोध किया जाना है, उसके बारे में तुरन्त कार्यवाही की जाय।

विषय संख्या:- 2

=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण के पुराने शासकीय ऋणों के रिपोइयूलिंग के सम्बन्ध में राजाज्ञा संख्या 2546/37-1-5 रि0पे0 दिनांक 12.9.77 पर विचार।

- 2.1 : चूंकि प्रस्तुत रिप्यणी में प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व बकाया ऋण रू0 1,56,69,475/- का विस्तृत विवरण नहीं है कि यह किस राजाज्ञा में स्वीकृत हुआ है, उन पर ब्याज की दरें क्या हैं तथा डिफाल्टी स्थिति में ब्याज की पैनाल दर क्या है आदि का विवरण नहीं दिया गया है अतः शासन से अनुरोध करने के पूर्व पूर्ण त्तिस्थिति जानना आवश्यक है। निर्देश दिया गया है आगामी बैठक में जो रिप्यणी प्रस्तुत की जाये उसमें तालिका प्रारूप में निम्नांकित सूचना और उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाय ताकि यह ज्ञात हो सके कि प्राधिकरण को कितनों में इस बकाये की अदायगी करने से कितना अधिक धान देना पड़ेगा -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
राजाज्ञा संख्या जिसके अनुसार ऋण स्वीकृत किया गया	स्वीकृत ऋण का प्रयोजन	स्वीकृत ऋण पर ब्याज की साधारण पैनाल दरें	ऋण की वापसी की शर्तें	अब तक वापस की गयी धानराशि	अब तक वापस की गयी धानराशि	वापस होने वाली बकाया धनराशि	वापसी की प्रस्तावित किस्त	किस्तों की वापसी किये जाने से प्राधिकरण पर सम्भावित अतिरिक्त भार	विवरण

विषय संख्या - 3 : विकास प्राधिकरण कर्मचारियों पर वेतन आयोग 1971-73 द्वारा निर्धारित वेतनमान लागू होने के उपरान्त अधिष्ठान और वेतन भत्ते के मद का 22 प्रतिशत अनुदान हेतु अनुवर्ती सहायता बन्द होने पर विचार।

- 3.1 : निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध किया जाय कि अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं की भांति विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी 22 प्रतिशत अनुवर्ती सहायता अनुदान के रूप में देने को स्वीकृति प्रदान की जाय।

विषय संख्या- 4 : प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि का बैंक में सेविंग खाते खोलने तथा अलग-अलग भाग बुक देने के सम्बन्ध में।

- 4.1: प्राधिकरण: अवगत हुआ कि कर्मचारियों को भविष्य निधि की मासिक कटौती को यूनाइटेड कामर्सियल बैंक लखनऊ में पृथक-पृथक सेविंग बैंक खोलते दिनांक 1.9.77 सेकाबल दिये गये हैं और उनकी पासबुकें बना दी गयी हैं ।
- 4.2क॥ निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था तुरन्त की जाय जिससे प्रत्येक कर्मचारी को अपने भविष्य निधि के लेखों का विवरण प्रत्येक वर्ष 30 जून तक आस्य प्राप्त हो जाये ।
- 4.2ख॥ विगत वर्षों में भविष्य निधि के लेखों का जो विवरण कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है उसे भी पूर्ण तथा रिकन्साइल्ड कराकर प्रत्येक कर्मचारी को 31 मार्च 1978 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ।
- 4.2ग॥ अप्रैल 1978 तथा अगस्त 1978 की बैठक में उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराया जाय ।

विषय

संख्या:5

2- वे रोड अशोक मार्ग पर 51 एकड़ क्षेत्र के शासन द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन ।

5.1

प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश शासन आवास अनुभाग-3 के आदेश संख्या: 2993/37-3-97-एन0के0वि0/75 दिनांक अगस्त 27, 1977 द्वारा प्रसारित अधिसूचना के आधार पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्लान को अनुमोदित किया गया और उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर लिये गये ।

5.2

उपरोक्त अनुमोदित विस्तृत प्लान के लागू होने के सम्बन्ध में धारा-12 के अनुसार अधिसूचना समाचारपत्रों में और जिलाधिकारी प्राधिकरण तथा नगर महापालिका के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दी जाय । जिससे सर्व साधारण को ज्ञात हो सके कि यह परिवर्तन लागू हो गया है ।

विषय

संख्या-6

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-2-77 की मद संख्या 6 द्वारा निर्णित विषय " आवंटित भूखण्ड के लीज़ होल्ड अधिकार हस्तान्तरण करने के 40 प्रतिशत तथा नीलाम द्वारा दिये गये, भूखण्डों के लीज़होल्ड अधिकार 15 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लेकर हस्तान्तरित करने की अनुमति दी जाये" का स्पष्टीकरण ।

6.1

प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव द्वारा सूचित किया गया कि तत्कालीन इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट /नगर महापालिका की विभिन्न योजनाओं पर जो पट्टा विलेख समाहित होते रहे हैं उनमें से कुछ में यह प्राविधान रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पट्टागत अधिकार का हस्तान्तरण करेगा तो उसे पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी और समय-समय पर इन पट्टों के हस्तान्तरण हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है । अन्य कुछ पट्टों में यह प्राविधान नहीं है । प्राधिकरण की मीटिंग दिनांक 19-2-77 के मद संख्या-6 में निर्णय लिया गया कि जो भूखण्ड बिना नीलाम के आवंटित हुए हैं उनका 40 प्रतिशत

तथा नीलाभ किये गये आवंटित भूखण्डों के हस्तान्तरण शुल्क की दर 15 प्रतिशत रक्खी गई है। तत्सम्बन्धी प्राधिकरण के प्रस्ताव की भाषा में यह स्पष्ट नहीं होता है कि हस्तान्तरण शुल्क केवल उन्ही भूखण्डों के लिये देय होगा जिनका पट्टा-विलेख में हस्तान्तरण के पूर्व अनुमति लेने का प्राविधान है और अन्य भूखण्ड जिनके अभिलेखों में यह प्राविधान नहीं है यह शुल्क देय नहीं होगा। विधिक राय भी अतिरिक्त सचिव द्वारा प्राधिकरण के समक्ष पढ़ी गई।

6.2 प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि विधिक राय देखाते हुए उन भूखण्डों के लिये हस्तान्तरण शुल्क नहीं लिया जायेगा जिनके पट्टे अभिलेख में हस्तान्तरण करने से पूर्व अनुमति लेने का प्राविधान नहीं है।

6.3 प्राधिकरण ने यह निदेशित किया कि उक्त पूर्व निर्णय संख्या-6.2 के अनुसार हस्तान्तरण शुल्क पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जब उनके नवीनीकरण का समय आये, तो तत्कालीन प्रचलित दरों के अनुसार लिया जाना चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् जो पट्टे इस प्रकार के किये गये हैं, जिनमें पूर्व अनुमति लेने तथा हस्तान्तरण शुल्क लेने का प्राविधान नहीं है विवरण एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाये ताकि नीति निर्धारित की जा सके, ऐसे मामलों के नवीनीकरण के समय हस्तान्तरण शुल्क किस प्रकार लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में गाजियाबाद तथा अन्य विकास प्राधिकरणों में जो नीति अपनाई जा रही हो उसको भी तुलना हेतु प्राधिकरण के समक्ष रक्खा जाये।

विषय संख्या: 7

अलीगंज मार्ग एवं जुर प्रसार योजना में गृह निर्माण समितियों को अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव।

7.1

अलीगंज मार्ग एवं जुर प्रसार योजना महापालिका अधि-निगम की धारा 357 के अन्तर्गत दिनांक 17-3-62 को प्रकाशित की गई थी तथा उसके आद धारा 358 के अन्तर्गत भू-स्वामियों को दो माह में आपत्ति दाखिल करने का निदेश दिया गया था परन्तु टिप्पणी में वर्णित 11 गृहधारक गृह समितियों में से किसी ने भी निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। इन समितियों में से कुछ ने योजना विज्ञापित होने के पश्चात् विज्ञापित क्षेत्र में भूमि प्राप्त की और उसके पश्चात् समय समय पर महापालिका से वे अनुरोध करते रहे कि उसके द्वारा कृय की गई अलीगंज योजना के अन्तर्गत भूमि न ली जाये। महापालिका ने इस सम्बन्ध में समय समय पर निर्णय लिया था जिनका उल्लेख विषय टिप्पणी में किया गया है।

7.2 निम्नलिखित समितियों के बारे में निर्णय लिया गया कि चूंकि इनका प्रादुर्भाव योजना प्रकाशन तिथि 17-3-62 के बहुत बाद हुआ और कई वर्षों से वे किसी प्रकार की भूमि छोड़ने की मांग नहीं कर रहे हैं, अतः उनके मामलों को समाप्त समझा जाये तथा उनको तदनुसार सूचित कर दिया जाये।

- क- प्रवीन भावन निर्माणा कोआपरेटिव सोसायटी।
- ख- बन्धु सहकारी गृह निर्माणा समिति,
- ग- आजाद सहकारी गृह निर्माणा समिति,
- घ- नन्द विलियम सहकारी गृह निर्माणा समिति
- च- लखानऊ जन कल्याण सहकारी गृह निर्माणा समिति,
- छ- पुरनिया गृह निर्माणा समिति,
- ज- श्री चन्द्र शोखार आजाद सहकारी गृह निर्माणा समिति।

शासनादेश के अनुसार गृह निर्माणा समितियों को योजनाबद्ध क्षेत्रों में 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवन्तित करने का आदेश दिया गया है, के अनुसार इन समितियों के द्वारा भी मांग किये जाने पर यदि चाहें तो यथासमय विचार किया जाये। इन समितियों को जो सूचना दी जाये, उसका आलेख विधिक परीक्षा कराने के पश्चात भोजा जाये।

7.3 सर्वश्री अल्का पुरी, नरेन्द्रदेव, श्रीपुर तथा लखानऊ विश्व विद्यालय सहकारी गृह निर्माणा समितियों के विषय में निदेशित किया गया कि टिप्पणी में जो विवरण प्रस्तुत है वह अधिक विस्तृत तथा तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाये।

7.4 यह भी निश्चय किया गया कि इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट/ नगर महापालिका विकास प्राधिकरण के जो भी संकल्प व निर्णय योजना में अधि-गृहीत भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में पारित हुए हों उनका विस्तार से उल्लेख तथा विश्लेषण करते हुए मामलों में आख्या प्रस्तुत की जाय ताकि प्राधिकरण इस सम्बन्ध में निर्णय ले सके।

विशेष प्रस्ताव सं०:3 निर्णय लिया गया कि निम्नांकित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक दिनांक 12-12-77 को बुलाई जाय और उससे पूर्व सदस्यों को इस सम्बन्ध में टिप्पणी दिनांक 6-12-77 तक अवसर भिजवा दी जाये :-

- 1- लखानऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के समय प्राप्त राजकीय ऋण रु० 1,56,69,475/- की वापसी के सम्बन्ध में।
- 2- अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में गृह निर्माणा समितियों की भूमि को अर्जन से मुक्त करने तथा वैकल्पिक भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।
- 3- प्राधिकरण के मूल बजट 1977-78 की अर्धवार्षिक समीक्षा।

- 4- विभागीय निर्माण इकाई के गठन का अनुमोदन ।
- 5- ओल्ड पोस्ट आफिस के प्रांगण में बन रहे व्यावसायिक केन्द्र के निर्माण की प्रगति तकनीकी तथा वित्तीय उपायों के साथ तथा उक्त केन्द्र की दुकानों, कार्यालयों के स्थान गोदामों व रेस्तराँ के विपणन/किराये पर उठाने की प्रस्तावित शर्तें ।
- 6- पत्रकारों की मांग कि अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत झूठाण्ड आवंटन हेतु दरों में जूट दी जाये ।
- 7- अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

ह0 नरेन्द्र विहारी लाल
॥ नरेन्द्र विहारी लाल ॥
कार्यवाहक अध्यक्ष/आयुक्त एवं
प्रशासक, लखनऊ नगर महापालिका
एवं उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
ह0 देवी चक्का सिंह
आशुलिपिक सचिव